

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 2
PART II—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 1976/पी० 15, 1897
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 1976/PAUSA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

RAJYA SABHA

The following report of the Joint Committee of the Houses of Parliament on the Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, was presented to the Rajya Sabha on the 5th January, 1976.

**COMPOSITION OF THE JOINT COMMITTEE ON THE
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION
(AMENDMENT) BILL, 1974**

Shri Triloki Singh—*Chairman*

MEMBERS

Rajya Sabha

2. Shri Kamalnath Jha
3. Shri R. D. Jagdap Avergaonkar
4. Shrimati Rathnabai Sreenivasa Rao
5. Shri Tirath Ram Amla
6. Shri Bhairab Chandra Mahanti
7. Shrimati Kumudben Manishanker Joshi
8. Shri Piare Lall Kureel *urf* Piare Lall Talib
9. Shri Krishan Kant
10. Shri Khurshed Alam Khan
11. Shri Lalbuaia
12. Shri Krishna Bahadur Chettri
13. Shri M. Kadershah

14. Shri Sanat Kumar Raha
15. Shri Bhairon Singh Shekhawat
16. Dr. K. Nagappa Alva
17. Shri Rabi Ray
18. Shri S. A. Khaja Mohideen
19. Shri Showaless K. Shilla
20. Shri P. K. Kunjachen.

Lok Sabha

21. Shri Achal Singh
22. Shri Tarodekar Venkatrao Babarao
23. Shri Bhagirath Bhanwar
24. Shri Biren Engti
25. Shri Brijraj Singh
26. Shri V. Shanker Giri
27. Shrimati Marjorie Godfrey
28. Shri Annasaheb Gotkhinde
29. Shri Madhuryya Halder
30. Shri M. M. Joseph
31. Kumari Kamla Kumari
32. Shri Tulsiram Dashrath Kamble
33. Shri M. Kathamuthu
34. Shri A. K. Kisku
35. Shri A. K. Kotrashetti
36. Shrimati T. Lakshmikanthamma
37. Shri Lalji Bhai
38. Shri Kumar Majhi
39. Shri Bhagatram Rajaram Manhar
40. Shri Murasoli Maran
41. Shri Prasannbhai Mehta
42. Shri Mohammad Yusuf
43. Shri Mohan Swarup
44. Shri Muhammed Sheriff
45. Shri Balakrishna Venkanna Naik
46. Shri G. L. Nanda
47. Shri Tarkeshwar Pandey
48. Shri Prabodh Chandra
49. Shri Ram Surat Prasad
50. Shrimati Maya Ray
51. Shri M. Ram Gopal Reddy
52. Shri Ajit Kumar Saha
53. Shri Sangliana

54. Shri Chandra Shekhar Singh
55. Shri Shankar Dayal Singh
56. Shri K. Subravelu
57. Shri R. V. Swaminathan
58. Shri Chandra Bhal Mani Tiwari
59. Shri P. Venkatasubbaiah
60. Dr. Karan Singh

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRIES

Ministry of Health and Family Planning

Shri Kartar Singh, Additional Secretary.
Dr. J. B. Srivastava, Director General, Health Services.
Shri Shravan Kumar, Joint Secretary.
Shri A. P. Atri, Deputy Secretary.
Shri Ramesh Bahadur, Under Secretary.
Shri D. S. Chadha, Assistant Director General, Health Services.

Ministry of Law and Justice

Shri S. Harihara Iyer, Joint Secretary and Legislative Counsel.
Shri S. Ramiah, Additional Legislative Counsel.

SECRETARIAT

Shri S. P. Ganguly, Additional Secretary.
Shri M. K. Jain, Chief Legislative Committee Officer.
Shri R. K. Mazumder, Senior Legislative Committee Officer.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

I, the Chairman of the Joint Committee to which the Bill* further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 was referred, having been authorised to submit the report on its behalf, present this Report of the Joint Committee, with the Bill, as amended by the Committee, annexed thereto.

2. The Bill was introduced on the Rajya Sabha on the 12th August, 1974.

3. The motion for reference of the Bill to a Joint Committee of the Houses was moved by Dr. Karan Singh, Minister of Health and Family Planning, on the 2nd September, 1974 and was adopted by the Rajya Sabha on the same day.

4. The Lok Sabha concurred in the motion on the 6th September, 1974. The Message from the Lok Sabha was reported to the Rajya Sabha on the 7th September, 1974.

5. The Report of the Joint Committee was to be presented to the House by the first day of the Ninetieth Session of the Rajya Sabha. The Committee was, however, granted extension of time first up to the last day of the first week of the Ninety-first Session; then up to the first day of the Ninety-second Session; again up to the first day of the Ninety-third Session and last up to the first day of the Ninety-fourth Session of the Rajya Sabha.

6. The Committee held 33 sittings in all.

7. At its first sitting held on the 11th September, 1974, the Committee decided that a Press Communique be issued inviting opinions from various individuals, associations, organisations interested in the subject matter of the Bill and advising them to send the same to the Rajya Sabha Secretariat by the 15th October, 1974. The Committee also decided to invite witnesses for the purpose of tendering oral evidence on the Bill and authorised the Chairman to decide, after examining all the Memoranda, as to who should be invited for the purpose. The Chairman also requested Members to suggest names of individuals/associations whom they would like to be considered for being invited to tender oral evidence before the Committee.

8. In order to make an on-the-spot study of the working of the laboratories and to get apprised of the difficulties being experienced by

*Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated the 12th August, 1974.

various manufacturers and dealers, the Committee visited the following institutions :—

- | | |
|---|------------|
| (i) Municipal Corporation Laboratory, Delhi. | 7-12-1974 |
| (ii) Delhi Milk Scheme Central Dairy, Delhi. | 7-12-1974 |
| (iii) Dairy run by Shri Prem Kumar Goel at Pahowa,
District Kurukshetra (Haryana). | 14-12-1974 |
| (iv) National Food Laboratory, Calcutta. | 16-1-1975 |
| (v) Central Food Technological Research Institute,
Mysore. | 3-2-1975 |

The Committee also visited some manufacturing units, trade centres and hotels in Delhi and surrounding areas for the purpose.

9. The Committee received 249 Memoranda containing views, comments, suggestions, etc. on the subject-matter of the Bill from various individuals, associations and organisations.

10. The Committee heard the oral evidence tendered by 95 witnesses.

11. The Committee decided that the verbatim record of evidence tendered before it should be laid on the Table of the House.

12. The Committee considered and adopted the Draft Report at its sitting held on Friday, the 26th September, 1975.

13. Before dealing with the various changes made by the Committee in the Bill, the Committee would like to stress that the evil of food adulteration existing in the country cannot be eradicated by legislation alone and much is required to be done for the effective implementation of the various provisions contained in the Act. With that end in view, the Committee has made certain suggestions in the Annexure to the Report. The Committee hopes that the Government will consider these suggestions and implement them as early as possible.

14. The principal changes effected by the Committee in the Bill and the reasons therefor are set out in the succeeding paragraphs.

Clause 2

The following changes have been made in the clause:—

- (i) Attention of the Committee was drawn to the fact that there were traders and even entrepreneurs who produce or manufacture adulterants for sale, i.e., materials which could be readily used for purposes of adulteration. The Committee is of the opinion that the manufacture, sale or distribution of such adulterants should also be made punishable under the Act and has suggested suitable provisions in the Bill. The Committee has therefore included a definition of the term "adulterant" in the clause.

(ii) It was represented that primary food which became sub-standard on account of natural causes but was not injurious to health, should not be treated as adulterated or sub-standard for the purposes of this Act. It was also represented that a distinction should be made between an adulterated article and a sub-standard article. It was further contended that a sub-standard food article which was not injurious to health should be treated differently from a sub-standard article which was injurious to health and therefore lighter punishment should be prescribed for the former category of articles, i.e., a sub-standard article not injurious to health.

The Committee has accordingly amended the proposed sub-clause (1) of clause (ia) and divided the sub-standard articles of food into two categories, namely those which are 'injurious' to health and those which are 'non-injurious' to health. However, the primary food that becomes sub-standard due to natural causes and beyond the control of human agency and which is not injurious to health has been exempted from the definition of "adulterated".

(iii) In order to prevent any possible misuse of office, the Committee has added a proviso to clause (iv) of section 2 of the principal Act to clarify that a person who has a financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food should not be appointed as a Director of the Central Food Laboratory.

(iv) The Committee is of the opinion that for declaring any article as food for the purpose of the principal Act, the expressions already used in the definition of "adulterated" should be used. The Committee has accordingly amended the definition of 'food' as contained in the Bill.

(v) It has been clarified in the definition of "Local (Health) Authority" that an officer appointed by the Central Government or the State Government concerned for a local area shall be the Local (Health) Authority for that area.

(vi) The principal Act also covers within its ambit the manufacture of any article of food. But the expression "manufacture" has not been defined in the Act. The Committee has included a definition of the expression "manufacture".

(vii) The Committee has modified the definition of "primary food" so as to include therein the produce of horticulture also and has omitted the words illustrative of the expression 'natural form'. The Committee has also omitted the definition of "processed food" as it is felt that the definitions of 'food' and 'manufacture' included in the Bill are comprehensive enough to include 'processed food'.

Clause 3

Since provision has been made for the establishment of more than one Central Food Laboratory, the Committee is of the opinion that the Directors of all such laboratories as and when established should be members of the Central Committee for Food Standards. Further the

Committee is of the opinion that the representation of the consumers' interests in the Central Committee for Food Standards should be increased from two to five and one of them should be from the hotel industry. The Committee has amended the clause accordingly.

Clause 5

The Committee is of the opinion that for a vast country like India the existence of one Central Food Laboratory is not adequate and for the effective implementation of the provisions of the Act, there should be more Central Food Laboratories in the different regions of the country.

The Committee is also of the opinion that the Central Committee for Food Standards should continue to be consulted by the Central Government in the matter of prescribing rules relating to the working of the Central Food Laboratory as provided in the principal Act.

The Clause has been amended suitably for the purpose.

Clause 6

The Committee is of the view that the Food (Health) Authority should continue to exercise the power of prohibiting the sale of any article of food in the interest of public health as provided in the principal Act and for this purpose he need not obtain the prior approval of the Central Committee for Food Standards. The Committee has, therefore, deleted sub-clause (a) of this clause.

The Committee is of the view that the manufacture for sale, storage, sale or distribution of adulterants should also be prohibited and has therefore included adulterants in section 7 of the principal Act.

Clause 8

A number of witnesses represented before the Committee that generally a food inspector harassed the vendor in the matter of taking samples and the powers given to him under the Act were being misused to his advantage. Taking this aspect into account and the other suggestions made before it, the Committee is of the opinion that the powers given to a food inspector by the Act should be curtailed so as to minimise the chances of corruption existing in this regard. The Committee has therefore made the following amendments in the Bill.

(i) It has been clarified that a food inspector shall not have power to take samples from a person who purchases or receives any article of food for his own consumption and such category of persons has been excluded from the term 'consignee' occurring in section 10(1)(a)(iii) of the principal Act.

(ii) A food inspector shall not take samples of any primary food if the same is not intended for sale as such food.

(iii) A clarificatory amendment has been made to the effect that whenever any article of food which appears to be adulterated or misbranded is seized or kept in the safe custody of the vendor the sample of such article shall be submitted to a public analyst for analysis.

(iv) The books of accounts or other documents shall be seized by a food inspector only after taking the previous approval of the authority to which he is officially subordinate and he shall return the same within a period of thirty days from the date of seizure. It has however been clarified that in case the person from whom the books or other documents have been seized refuses to certify the copies thereof or extracts therefrom and a prosecution has been instituted against him, the food inspector shall return such documents only after taking copies or extracts duly certified by the Court.

(2) The Committee is of the view that there is no necessity for the words "which is unfit for human consumption" appearing in the proposed new clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the principal Act.

(3) The Committee has authorised a food inspector to take samples of adulterants also in a place where such adulterants are manufactured or kept.

(4) The Committee is of the opinion that the burden of proving that the adulterant seized is not meant for purposes of adulteration should be on the person from whose possession such adulterant was seized and has accordingly amended the new sub-section (7B) to section 10 of the principal Act.

(5) The Committee has also provided a minimum punishment of fine of rupees five hundred which may be extended to a maximum fine of rupees one thousand if the food inspector is found guilty of exercising the powers under the Act vexatiously and without any reasonable grounds of suspicion.

The other amendments made in the clause are of drafting and consequential nature.

Clause 9

The question of taking samples and their utilisation was very carefully considered by the Committee. The Committee is of the opinion that the sample taken from the vendor should continue to be divided into three parts, instead of four, as proposed in the clause. The Committee is also of the opinion that none of the parts of the samples taken should be delivered either to the vendor or to the person whose particulars have been disclosed under section 14A of the principal Act. It has, however, been made obligatory on the part of the food inspector to give notice in writing to the person whose particulars, etc. have been disclosed by the vendor then and there of his intention to have the sample analysed, besides the vendor.

It has been provided that the food inspector shall send one of the parts of the sample to the public analyst for analysis under intimation to the Local (Health) Authority and the remaining two parts to the Local (Health) Authority.

It has also been provided that the food inspector shall get the signature or thumb-impression of the person from whom he has taken a sample and in case such person refuses to sign or put his thumb-impression, the food inspector shall call upon one or more witnesses and take his or their signatures or thumb-impressions.

The Committee has suggested that a sample of any article of food or adulterant seized under sub-section (1) or sub-section (2) of section 10 of the Act should be sent to the public analyst by the immediately succeeding working day. The Committee has also specified a time limit of seven days after the receipt of the report of the public analyst within which the articles of food or adulterants seized under sub-section (4) of section 10 of the Act shall be produced before a Magistrate.

Sub-section (5) of section 11 of the principal Act provides for the forfeiture of the seized article of food which is found to be adulterated to a local authority only. The clause had provided for the forfeiture of such article or any adulterant seized to the State Government instead or to the local authority. The Committee has stipulated that such forfeiture may be made to the Central Government, State Government or local authority, as the case may be.

Certain drafting and consequential amendments have also been made to include adulterants.

Clause 10

The Committee is of the opinion that the existing provision regarding prosecution of offences under the Act is very cumbersome. Though a large number of prosecutions had been instituted many of them had either not ended in convictions or had to be withdrawn mostly on the ground that the samples taken were not proved to be adulterated or misbranded, and in the process not only a lot of valuable time of the Courts must have been wasted but the vendors also were subjected to avoidable harassment. The Committee has therefore changed the whole scheme of prosecution with a view to punish only those whose samples have been found to be adulterated by the report of the public analyst, thus minimising the chances of harassment of vendors and reducing the number of prosecutions.

The Committee has provided that the public analyst will deliver the report to the Local (Health) Authority, instead of to the food inspector as provided in the principal Act. The Committee has recommended that on receipt of the report from the public analyst to the effect that the article of food is adulterated, the Local (Health) Authority shall, after the institution of prosecution against the person from whom the sample of the article of food was taken and the manufacturer, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed by the vendor, forward a copy of the report of the analysis to the vendor and the manufacturer, if any, informing them that they may, if it is so desired, make an application to the Court, within a period of ten days from the date of receipt of the copy of such report, to get another sample of the article of food kept by the Local (Health) Authority analysed by the Central Food Laboratory. When such an application is made to the Court, the Local (Health) Authority, on a requisition from the court, shall forward the part of the sample or samples in his possession to the Court within a period of five days from the date of receipt of such requisition. It has been also provided that in such a case the Court shall not continue with the proceeding pending before it in relation to the prosecution until it receives the report of the result of the analysis from the Director of Central Food Laboratory.

The Committee has also provided that if the Local (Health) Authority is of the opinion that the report delivered by the public analyst is erroneous, the said Authority shall forward one of the parts of the sample kept by it in respect of that article of food to any other public analyst for analysis and if the report of the result of the analysis of that sample by that other public analyst is to the effect that the article of food is adulterated, the Authority shall institute a prosecution against the person or persons involved.

The principal Act provides that any document purporting to be a certificate signed by the Director of the Central Food Laboratory shall be final and conclusive evidence of the facts stated therein. The Committee has excluded from the purview of this general provision such of the certificates with respect to the analysis of the samples of articles of food or adulterants, which when consumed by any person are likely to cause death or grievous hurt to such person. The proviso to sub-section (5) of section 13 of the Act has been suitably amended for the purpose.

Clause 11

Section 14 of the principal Act imposes an obligation on every manufacturer, distributor or dealer to give a warranty in writing in respect of the nature and quality of every article of food sold by him to a vendor. During the course of the evidence tendered before the Committee, the representatives of the retailers represented that that requirement of the law was not being followed by the manufacturers or dealers, as a result of which the vendors had to suffer. The Committee has remedied the situation by inserting a proviso to the section to the effect that a bill, cash memorandum or invoice given by a manufacturer, distributor or dealer in respect of any article of food purchased by the vendor should be deemed to be a warranty.

Consequent on the deletion of the new section 22A as originally proposed in clause 18 of the Bill, the amendment proposed in the *Explanation* to section 14 of the principal Act by the clause is no longer necessary.

Clause 12

The Committee has given very careful thought on the provisions suggested in the clause relating to the penalties to be awarded for various types of offences under the Act. The Committee is of the opinion that while persons who indulge in deliberate acts of adulteration should be punished severely, it should, at the same time, be ensured that innocent people are not unnecessarily harassed. The Committee has, accordingly, categorised the offences under the Act and the punishments to be provided for them with reference to the nature and extent of the injuries suffered by the person consuming an adulterated food or adulterant as follows:—

- (i) Primary food which is non-injurious to health, but sub-standard due to natural causes and beyond the control of human agency, has been totally exempted. Such articles of food have been excluded from the definition of the term "adulterated" also [*vide* proviso to sub clause (b) (iii) (m) of clause 2 of the Bill].

(ii) If the adulterated food is primary food which is non-injurious to health, but adulterated by human agency, the person committing the offence shall be liable to imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to two years and shall also be liable to a fine of not less than rupees five hundred.

(iii) If the adulterated food is not primary food, and is non-injurious to health, the person committing the offence shall be liable to imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and shall also be liable to a fine of not less than rupees one thousand.

(iv) If the adulterated food is injurious to health but which does not cause grievous hurt or death, the punishment shall vary from one year to six years with a minimum fine of rupees two thousand.

(v) If the adulterated food is injurious to health and is likely to cause death or grievous hurt, the punishment shall vary from three years to life imprisonment with a minimum fine of rupees five thousand.

The Committee has also brought within the ambit of the clause the import, manufacture, sale, storage, distribution of adulterants and has prescribed similar penalties for such offences.

The Committee has amended the clause accordingly.

(Clause 13 (New Clause))

The Committee is of the opinion that cases involving food adulteration should be tried and the offenders punished as quickly as possible. To achieve this object, the Committee has added this New clause which provides for summary trial in cases which do not involve heavy punishment i.e. offences which come under sub-section (1) of section 16 of the Act. It has, however, been ensured that such offences are tried by a Judicial Magistrate of the First Class specially empowered in this behalf by the State Government or by a Metropolitan Magistrate. It has also been provided that if the Magistrate, in the course of a summary trial is of the opinion that it is undesirable to try the case summarily or that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed he shall record an order to that effect and thereafter proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the Code of Criminal Procedure, 1973.

Clause 15 (Original Clause 14)

The Committee is of the opinion that for instituting a prosecution for an offence mentioned in section 14 (i.e. non-issuance of a written warrant) or section 14A (i.e. non-disclosure of the source of purchase) the prior sanction of the Central or the State Government as required under section 20 of the Act should not be necessary. These offences have, therefore, been excluded from the purview of sub-section (1) of section 20 of the Act.

The Committee is also of the opinion that an offence punishable under section 14 or section 14A need not be cognizable and non-bailable and has accordingly omitted the reference to sub-section (IC) of section 16 from the proposed sub-section (3) of section 20.

Clause 19 (Original Clause 18)

The Bill had proposed to give power to the Central Government to exempt any manufacturer or distributor of, or dealer in, any article of food from the operation of the provisions of section 14 of the Act regarding the issue of warranty. Since section 14 is a very salutary provision, the Committee is of the view that no provision for giving such exemption need be included in the Act and that all the agencies mentioned above, irrespective of its nature, should comply with the obligatory provision of issuing warranty contained in that section. The proposed new section 22A as provided in the Bill has accordingly been omitted.

The Committee has, however, added a new provision enabling the Central Government to give directions to the State Governments regarding the carrying into execution in the State concerned of all or any of the provisions of the Act.

Clause 20 (Original Clause 19)

The Central Government has been also given power to define by rules the laboratories where samples of articles of food or adulterants may be analysed by public analysts under the Act.

The clause has accordingly been amended.

Clause 21 (Original Clause 20)

The clause has been amended to give power to the State Government to make rules defining the powers and duties of the Local (Health) Authority also appointed by them.

The other changes made in the Bill are of a consequential or drafting nature.

15. The Committee recommends that the Bill, as amended, be passed.

NEW DELHI;
September 26, 1975.

TRILOKI SINGH,
Chairman of the Joint Committee.

ANNEXURE

(Vide para 13 of the Report)

Suggestions for the Effective Implementation of the Act

The Committee is of the view that the main responsibility for implementing the Act lied with the Central Government. It was brought before it in a convincing manner that the funds made available for this purpose—whether from the Centre or the States—were hopelessly inadequate. The first three Five Year Plans did not make a mention of prevention of food adulteration. The Fourth Plan did make some provision for it but it more or less remained a pious wish. The Committee feels that prevention of disease is a measure of much greater importance than its cure and that more and more attention should be given to the prevention of food adulteration, for which the first necessity is, that adequate funds should be provided for it.

The Committee has recommended the setting up of more than one Central Food Laboratory. For a big country like ours, one such laboratory is not enough. It is necessary that without undue delay, at least four such laboratories be set up in four different zones in the country.

Another matter of no less importance was brought to the notice of the Committee, namely, that the laboratories of the Public analysts at the State level did not have necessary and up-to-date equipment for carrying on analysis. There seems no reason why there should be difference in analysis in two laboratories of the same material, if it has been carried out in a scientific manner with uniform methodology. The main reason advanced was that the State laboratories were ill-equipped. The Committee, therefore, felt its duty to draw the attention of the Government that not only the Central Food Laboratory but also the laboratories at the State level should be equipped with the latest instruments and in big States like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra, there should be more than one such laboratory with the latest equipment.

The Committee also feels that for effective implementation of the Act, a separate Food Department under the control of the Director of Health be established in all the States and that generally speaking except in larger cities the implementation of the Act should not be entrusted to the local bodies. It was abundantly made clear to the Committee, by various witnesses, both official and non-official, that much of the malaise of non-implementation was due to the corruption at the

lower level. The plea that corruption is rampant all round should not deter the Government from taking effective steps to root out corruption from the Food Department. The Committee feels that this could be done, if the Food Inspectors are well-paid and are persons with necessary scientific qualifications. Mostly, this work has so far been entrusted to the local sanitary inspectors. As far as the area of the food inspectors is concerned, they should not be confined to one particular locality and the area should be big enough consisting of 10 to 12 districts with headquarters at one place coming under the direct supervision of a Deputy Director for Food. The Committee feels that what was necessary is deterrent action and therefore instead of taking samples here and there, whenever the Deputy Director so decides, samples on a mass-scale should be taken from a particular locality, from all types of dealers in food without any previous inkling to them. In order to be effective, the dealers should all the time be left guessing. If that is done, the Committee feels that much of the corruption in the lower ranks of the Food Department would disappear.

There is another question, that of making rules. It takes fairly long time to make rules. The Committee feels that for the effective implementation of the Act, rules should be made as soon as possible and due care should be given to see that no loopholes are left.

It was represented before the Committee that even goods with Agmark seals were occasionally found adulterated. As Agmark and ISI and such other bodies like quality control etc. work under the auspices of the various Departments of the Government of India, carries with it an understanding that any article carrying the seal of Agmark etc. should be sufficient guarantee to the consumer that it is unadulterated and in case it is found adulterated, action should be taken against the manufacturer by the Agmark people as well.

Section 17 of the Act, dealing with "offences by companies" was outside the scope of the Bill. The Committee, however, feels that this provision needs a fresh look and that instead of prosecuting the whole lot, the companies dealing in food articles should be asked to name the person who is in charge and also responsible to the company for the conduct of the business so that in case any article manufactured, stored or sold by them is found adulterated, only the person in charge may be prosecuted and not the whole board as is done at the moment.

Milk is an article of food in which the incidence of adulteration in spite of the Act, has been the highest. It was, however, brought before the Committee that there are few dairies who have their own cattle. They make purchases from the milk vendors and in a majority of cases, the milk so supplied is not upto the standard, in other words, technically adulterated. What these dairy owners do is that they process it into milk which conforms to prescribed standards. Adulteration in milk is so rampant that if action is taken against the suppliers of such dairies, perhaps no dairy would be left working in this country, even the Delhi Milk Scheme would come to grief. The Committee, therefore, thinks that some way should be devised to ensure the continuance of these dairies and also to ensure the supply of pure milk.

Another aspect brought before the Committee was that adulteration was going on even at the level of small flour mills, i.e. Chakkies catering to the grinding needs of small consumer. It was suggested that such stalls should be required to give a warranty in regard to the purity of stuff handed over by them to the consumer. The Committee recommends that the Government should examine this matter and devise ways to curb this menace.

Another difficulty was brought before the Committee about the use of milk and milk products by the hoteliers. It is common knowledge that the milk supplied in hotels for mixing with tea or coffee or curd supplied with *raita* are sometimes mixed with water in order to make good preparations out of that. If the Food Inspector happens to visit any such hotel and takes sample out of such milk, the hotelier is prosecuted. How to get over this difficulty, which is equally faced by hotels in public sector as well as in private sector? It is for the Government to provide against it. One such way may be the issuing of directions provided for under clause 19 of the Bill to the State Governments and Union Territories.

So far no efforts were made to enlist the cooperation and support of the people in fighting the menace of food adulteration. Many witnesses brought this aspect to the notice of the Committee and it would like to suggest that close liaison be established between people's representatives, social organisations and the like and the food department. It would also be better if the media of press, radio, television be utilised and exhibitions be held to bring home to the people the dangers of food adulteration.

MINUTES OF DISSENT

I

The Central Committee for Food Standards is a very important body that has to be constituted as a part of the Prevention of Food Adulteration Act. The function of the Committee is to advise the Central Government and State Governments on matters arising out of the administration of the Act and to carry out the other functions assigned to it under the Act. The essence of the Act is to safeguard Consumers' interest. The Central Committee for Food Standards consists of representatives of Central Government, State Governments, certain Central Ministries and certain Institutions. The number may be over forty and yet there is no specific representation (1) for the Hotels and Restaurants though the Hotel Industry is mainly a Consumer Industry; and (2) for the women as they have to play a great role for the successful implementation of the Act and to see that food served at homes of all the rich and the poor is clean and unadulterated. As it is, the Committee looks like mainly a Government functionary.

In the amendment that was accepted in the Joint Committee regarding this clause, it was decided to give representation to the Hotel Industry and that by nomination of one person by the Government. The Government will naturally give representation to the public sector Hotel Industry which is associated with the Tourist Development Corporation. That means the Private Hotel Industry which caters to the needs of over 90 per cent of the customers would not have any representation. Private Hotel Industry must have a representative in the Committee as Hotel Industry is mainly a consumer Industry. The Hotel owners and the Restaurant owners purchase food articles, prepare varieties of food and serve or cater to the people. By giving representation to the private sector Hotel Industry, the Government fixes a responsibility on them to serve the consumer interest to a large extent. I had emphasised this aspect during discussion and had expressed my dissent also for the decision taken. My suggestion is that it is absolutely necessary that there should be two representatives for the Hotel Industry, one for the Private Sector and the other for the Public Sector.

Consumer interest can be well served by involving the women in the implementation of the P.F.A. Act for both prevention and detection of food adulteration. I feel that representation to the women is very necessary in the Central Committee for Food Standards. I suggest that a representative of the All India Women's Organisation should be nominated to the Committee.

DR. K. NAGAPPA ALVA

II

मेरा मत है कि पान, तम्बाकू, पान का मसाला, जर्दा खाद्य पदार्थ नहीं है। इसलिये इसे खाद्य मिलावट कानून से अलग रखा जाये।

तारकेश्वर पांडे

III

विधेयक सम्बन्धी संशोधनों सहित कमेटी की जो रिपोर्ट पारित हुई है, हालांकि मैं उससे सहमत हूँ, फिर भी चाहता हूँ कि निम्नलिखित बातों का समावेश अगर रिपोर्ट में हो जाता तो अति सुन्दर होता। भिन्न मतावलम्बी की हैसियत से निवेदन है कि:—

- (1) दूध के लिये अलग से एक अधिनियम का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि यह दूसरे खाद्यान्नों से भिन्न चीज है।
- (2) 'सबस्टैंडर्ड' और 'एडल्ट्रेटेड' शब्दों की व्यापक परिभाषा होनी चाहिये।
- (3) 'पालिशिंग' पर नितान्त रोक लगा देनी चाहिये, और साथ ही साबित चीजों पर रंग करने की जो पद्धति है उसको बन्द कर देना चाहिये तभी मिलावट के अपराध के उन्मूलन में सहायता मिल सकती है।
- (4) 'टेस्टिंग' के समय सेम्पल भरते समय जो भाल आंखों से हो खराब मालूम हो उसके सम्बन्ध में ऐसी परम्परा होनी चाहिए कि उसे तुरन्त नष्ट कर दिया जाये।
- (5) सेम्पल के सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है कि सेम्पल लेने का काम फूड इन्स्पेक्टर के बजाय किसी डाक्टर के द्वारा होना चाहिये जोकि मिलावट से भरी प्रकार परिचित है, जैसे पंजाब में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डाक्टरों से सेम्पल लेने का काम लिया जाता है, उसी प्रकार दूसरे राज्यों में भी इस पद्धति को अपनाया जा सकता है।
- (6) भसालों को पीसने की जो पद्धति चल रही है, उसको अविलम्ब समाप्त कर देना चाहिये, क्योंकि पीसी हुई वस्तुओं में चाहे कुछ भी मिलाया जा सकता है और उसे खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कभी-कभी तो देखा व सुना जाता है कि अमुक व्यापारी ने अमुक किसी वस्तु में किसी खराब चीज का मिश्रण कर दिया जो स्वास्थ्य के लिये बड़ी हानिकारक थी।
- (7) बेसन, मंदा व सुजी आदि में अगर कीड़ा है तो उन्हें अविलम्ब नष्ट कर देना चाहिये और नष्ट करना ही उसका दण्ड माना जाये, तथा सामाजिक ढंग से जनता के सामने ऐसे व्यापारियों की भर्त्सना की जाये।
- (8) देखा जाता है कि फलों को पकाने के लिये व्यापारी लोग कार्बाइड प्रयोग में लाते हैं तथा अन्य दवायें काम में लाते हैं, इससे फल जल्दी तो पक जाता है लेकिन स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक होता है। कभी-कभी देखा गया है कि अनचास व दूसरे फलों में व्यापारी इन्जेक्शन भी लगाते हैं जिससे वे देर तक सुरक्षित रह सकें, परन्तु यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्यापारियों द्वारा किये गये इन सारे कार्य-कलापों को मिलावट मानना चाहिये और इन पर अविलम्ब रोक लगा देनी चाहिये, यह लोग समाज विरोधी हैं और बड़े से बड़े दण्ड के भागीदार हैं।
- (9) उत्पादक और छोटे बुकानदार माल बेचने की श्रृंखला में आते हैं, बहुधा मिलावट उत्पादकों द्वारा होती है मगर वह मढ़ी जाती है छोटे बुकानदारों के सिर, मेरा निश्चित मत है कि वर्तमान पद्धतियों के रहते छोटे बुकानदारों का शोषण हो रहा है, इस दृष्टिकोण से मिलावट की बात सामने रहनी चाहिये।
- (10) कमेटी का फैसला सराहनीय है कि 'एंगमाक' और आई एस आई को काबूल की परिधि से छूट नहीं दी गई, अच्छा हो कि ये सरकारी एजेंसियाँ और अधिक कार्य-कुशलता दिखायें, और शुद्धता का प्रमाण पथ जो देने की कोशिश करती हैं वह सार्थक सिद्ध हो।

- (11) कमेटी ने जो यह निर्णय लिया कि विधेयक की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाली जाये वह उचित ही है, मगर साथ ही साथ जिला परिषद, नगरपालिकाये, ग्रामसमिति, ग्राम पंचायत और राज्य सरकारों को भी अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये, तभी मिलावट जैसे अपराधों का निराकरण किया जा सकता है।
- (12) छोटे दुकानदारों का संघ बनना चाहिये जो सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से बड़े दुकानदारों से माल उठा सकें और उसको जिम्मेवारी के साथ बेच सकें।
- (13) जनता का सहयोग भी सरकार को प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मिलावट एक महामारी के रूप में फैली हुई है, इसका रोकथाम के लिए उतनी ही तत्परता एवं सहयोग की आवश्यकता है। हर बड़े शहर कस्बा व ब्लॉक स्तर पर मिलावट निवारण समिति या गठन होना चाहिये जिसमें सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त छोटे दुकानदारों प्रतिनिधि भी होने चाहिये, यह समिति मिलावट को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाये और मिलावट के उन कृत्यों का पता लगाये जो खाने पाने का चीजों को गन्दा किए हुए है, बिना जनता व सरकार के तालमेल के मिलावट को दूर करना असम्भव है।
- (14) हर शहर कस्बा व ब्लॉक के अन्तर्गत उपभोक्ता समितियां बननी चाहिये जो मिलावट के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे और उनको दूर करने के उपाय बताये।

मोहन स्वरूप

IV.

While dealing with clause 12 in the Report, the Committee has observed "The Committee is of the opinion that while persons who indulge in deliberate acts of adulteration should be punished severely, it should, at the same time, be ensured that innocent people are not unnecessarily harassed. The Committee has, accordingly, categorised the offences under the Act and the punishment to be provided for them with reference to the nature and extent of the injuries suffered by the person consuming an adulterated food or adulterant".

The object of the Committee of ensuring the protection of innocent people from unnecessary harassment and of minimising the chances of harassment of vendors is laudable. But while categorising the offences under the Act and the punishment to be provided for them, the Committee has equated the contravention of any rule made under the Act with the offences of adulteration and misbranding.

The provisions of S. 16(1) (a) (ii) read with the proviso to that section would now make it obligatory on the Court to impose a sentence of imprisonment which shall not be less than three months and with fine which shall not be less than five hundred rupees. An itinerant vendor who does not carry the prescribed metallic badge on his arm or whose containers of food and the vehicle are not properly marked is now punishable with the minimum imprisonment of 3 months and fine of Rs. 500. This punishment is too grave and disproportionate to the gravity of the offences. Many such ridiculous situations can be pointed out. This provision, which runs counter the very object of the Committee, will create panicky atmosphere among the innocent vendors, honest retail traders, and all sections of trading community. Surely this is not the intention of the Parliament.

This panicky atmosphere can be cleared and the chances of harassment of vendors minimised with the assurance that minor offences relating to breach of conditions of licence or petty contravention of the rules will not be met with harsh consequences. Even the Law Commission of India has, in its 47th report, observed as following: "For these reasons, we do not think that the discretion of the Court to award a sentence below the minimum should be totally abolished. In fact, even some of the officers concerned with enforcement of the Acts agreed that it was impossible to conceive of every possible situation which might operate in mitigation".

This object can be achieved by adding a further proviso to the proposed Sec. 16(1) as follows:

"Provided further that if the offence is in relation to breach of conditions of licence or contravention of rules the Court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months or of fine of less than five hundred rupees or of both imprisonment for a term of less than three months and fine of less than five hundred rupees".

ANNASAHEB GOTKHINDE.

V

I feel constrained to add this note of dissent to the Report of the Joint Committee on the Prevention of Adulteration of Food (Amendment) Bill, 1974.

To begin with general observation, I welcome drastic changes and improvements made in the original Bill by the Joint Committee. The new provisions made in the Bill will help curbing adulteration of food to a certain degree despite shortage, scarcity of food articles, despite poverty prevailing in the society, if adequate implementing machinery be there. Throughout its deliberation Joint Committee raised this issue repeatedly, but this apprehension in respect of implementation by proper machinery was not removed by adequate provision of fund for creating appropriate infrastructure in administering the Act.

It has not been clear in what regions and by when more regional central food laboratories will be established. Problems of whole-time inspectors with adequate training and salary and in adequate number are left to State Governments. But States' machineries are too poor to tackle this problem of vast magnitude. The biggest State of Uttar Pradesh has only 46 full-time food inspectors. Madhya Pradesh, Bihar, Karnataka, Tamil Nadu, Tripura, Rajasthan, Delhi have no full-time inspector under State Government. Gujarat and Chandigarh has one each and most of the States have no full-time inspectors under local bodies. The legislation does not incorporate provisions in this direction.

Instead of two provided in the original Bill there will be five representatives of consumers interest in the Central Committee for Food Standard. Parliament should consider whether any representative of women section and workers of food manufacturing concerns, be in the Committee. I think such workers should be involved in eradicating adulteration at the source.

In Clause 9 no time limit for work of analysis of food samples by Public Analyst has been provided. But time limit is an essential factor to expedite adulteration cases when in a new clause 13 provision of summary trial has been incorporated rightly.

Indian Toxicological Research Centre in its report stated that out of 409200 samples of food items 103044 were found adulterated during last thirteen years and 4400 people in West Bengal, 120006 in Bihar and Madhya Pradesh were affected with paralysis due to 'Kesari Dal' an adulterant mixed with cereals. But Joint Committee could not solve this problem of 'Kesari Dal'. There is no necessity of colouring of 'Dal' and 'Masalla' which damages our health, this should be prohibited.

Existing laboratories of the country are too poor to the task, not equipped with up to date instruments. Number of such laboratories in proportion to population are few. The legislation could not provide any basis of such laboratories least necessary for the country. At present only 42 food laboratories under State management and 22 under Local Bodies are in working condition in India under the Act.

As regards administration of the Act in rural areas condition is rather gloomy. In West Bengal out of 93 Municipal Corporations and other local bodies 46 have no Food Inspector or Sanitary Inspectors. Sanitary Inspectors are to act also as Food Inspectors. This system produce no good result. Central Bill has failed to give any concrete guidance in this direction. If Central and State Governments fail to administer the Act in a serious and co-ordinated manner, whole exercise of the Joint Committee will be futile and infructuous.

One of the many functions of the Central Unit under the Directorate General of Health Services should be to take up the task of leading a continuous campaign throughout the country against adulteration in various forms and media with peoples' participation. The legislation should enumerate such duties of the D.G.H.S.

No scheme connected with the Prevention of Food Adulteration Act was included in the first three plans. Due to non-sanctioning of certain proposals and late sanction of others, very little of the funds could be utilised during the fourth plan. Such sad performance on the part of the Government cannot be excused. If Central Government do not take the initiative uniformly and in an integrated manner to implement the Act with adequate finance, the deterrent punishment provided in the Bill for adulterators will only breed corruption and frustration. It should be noted that prevention is better than cure. So preventive positive measures will be more economic and more effective than negative method of punishments for adulteration. A new concept of adulterants as bad as adulteration has enriched the Bill. The first time, the primary food, sub-standard food, has been defined. As regards penalty for adulteration rational and realistic approach has been made in the Bill. Joint Committee wanted a new orientation in eradicating the evil of adulteration from the social life. This needs a strong and devoted cadre-based organisation in the country but unfortunately the Bill has failed to provide such concrete measures.

SANAT RAHA.

VI

I am happy that the Joint Committee has made extensive amendments in the Bill referred to it with a view to tightening the law of prevention of food adulteration and making it as stringent as possible. None the less it is nobody's claim that the evil of food adulteration which is rampant will be altogether eliminated by the law. One of the reasons as to why the law has failed is that the executive appeared to be more concerned with catching a small fry than a big fish. The cobwebs of law are spread only to entangle small traders and the big ones go scot free. This needs to be changed if the law is to be made more effective and purposeful. The law should ignore the triflings. For instance, it is no use catching Panwallas and Pan-masalewallas. For, the Pan or its Masala are not a food; they are merely a chewing material. As back as 1900, the Privy Council had held that chewing-gum is not food [*Vide Bennet-us-Iyler* (1900) 64 119; 25 DIGEST 7073 AND *NEWTON TEA AND SPIRE CO. VS. U.S.* 288F 475]. The Pan-masala is merely a chewing material. Again, our Supreme Court has also held in 1961 in *Ram-avatar Buddhiprasad Vs. Assistant Sales Tax Officer*, that the betel leaves have got no food value and are not food. This type of food should therefore be completely removed from the purview of law. The executive machinery should not waste its efforts on these types of offences, if at all, they should concentrate on articles of mass consumption and production.

Moreover, Government should do something to prevent tampering with Agmark seal or adulteration of agmarked goods. It passes one's comprehension as to how goods properly agmarked could at all be found adulterated. It is also baffling as to why in such cases, innocent traders should be harangued, hauled and harassed. This needs to be stopped. The procedure for agmarking also should be reviewed and brought on sound footing.

If these steps are taken, I am sure that real cases of adulteration will come to light and innocent and petty traders will not be subjected to wasteful litigation.

RAM SURAT PRASAD.

BILL No. XXXIII-B OF 1974

THE PREVENTION OF FOOD ADULTERATION
(AMENDMENT) BILL, 1974

(AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE)

[Words underlined or side-lined indicate the amendments suggested by the Committee; asterisks indicate omissions.]

A

BILL

further to amend the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short
title and
commen-
cement,

1. (1) This Act may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Act, 1975.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amend-
ment of
section 2.

2. In section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 37 of 1954. (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) clause (i) shall be re-numbered as clause (ia) thereof and before that clause as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:—

‘(i) “adulterant” means any material which is or could be employed for the purposes of adulteration;’

(b) in clause (ia) as so re-numbered,—

(i) in sub-clause (f), the word “disgusting,” shall be omitted;

(ii) for sub-clause (j), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(j) if any colouring matter other than that prescribed in respect thereof is present in the article, or if the amounts of the prescribed colouring matter which is present in the article are not within the prescribed limits of variability;”;

(iii) for sub-clause (l), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(l) if the quality or purity of the article falls below the prescribed standard or its constituents are present in quantities not within the prescribed limits of variability, which renders it injurious to health;

(m) if the quality or purity of the article falls below the prescribed standard or its constituents are present in quantities not within the prescribed limits of variability but which does not render it injurious to health:

Provided that, where the quality or purity of the article, being primary food, has fallen below the prescribed standards or its constituents are present in quantities not within the prescribed limits of variability, in either case, solely due to natural causes and beyond the control of human agency, then, such article shall not be deemed to be adulterated within the meaning of this sub-clause;”;

(c) in clause (iv), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

“Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food shall be appointed to be a Director under this clause;”;

(d) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) “food” means any article used as food or drink for human consumption other than drugs and water and includes—

(a) any article which ordinarily enters into, or is used in the composition or preparation of, human food,

(b) any flavouring matter or condiments, and

(c) any other article which the Central Government may, having regard to its use, nature, substance or quality, declare, by notification in the Official Gazette, as food for the purposes of this Act;”;

(e) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:—

“(vi) ‘Food (Health) Authority’ means the Director of Medical and Health Services or the Chief Officer in charge of Health administration in a State, by whatever designation he is known, and includes any officer empowered by the Central Government or the State Government, by notification in the Official Gazette, to exercise the powers and perform the duties of the Food (Health) Authority under this Act with respect to such local area as may be specified in the notification;”

(f) after clause (viii), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(viiiia) ‘Local (Health) Authority’, in relation to a local area, means * * * the officer appointed by the Central Government or the State Government, by notification in the Official Gazette, to be in charge of Health administration in such area with such designation as may be specified therein;

“(viiiib) ‘manufacture’ includes any process incidental or ancillary to the manufacture of an article of food;”

(g) after clause (xii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(xiia) ‘primary food’ means any article of food, being a produce of agriculture or horticulture in its natural form;”

* * * * *

Amend-
ment of
section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2),—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) the Director of the Central Food Laboratory or, in a case where more than one Central Food Laboratory is established, the Directors of such Laboratories, *ex officio*;”

(ii) for clause (g), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(g) one representative each, nominated by the Central Government, to represent the agricultural, commercial and industrial interests;

“(gg) five representatives nominated by the Central Government to represent the consumers’ interests, one of whom shall be from the hotel industry;”

(b) in sub-section (3), for the brackets and letter “(g),”, the brackets and letters “(g), (gg),” shall be substituted.

4. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion
of new
section
3A.

“3A. (1) The Central Government shall appoint a Secretary to the Committee who shall, under the control and direction of the Committee, exercise such powers and perform such duties as may be prescribed or as may be delegated to him by the Committee.

Appoint-
ment of
Secre-
tary and
other
staff.

(2) The Central Government shall provide the Committee with such clerical and other staff as that Government considers necessary.”.

5. In section 4 of the principal Act,—

Amend-
ment of
section 4.

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, establish one or more Central Food Laboratory or Laboratories to carry out the functions entrusted to the Central Food Laboratory by this Act or any rules made under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, also specify any laboratory or institute as a Central Food Laboratory for the purposes of this Act.”;

(b) in sub-section (2), * * * for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) the functions of a Central Food Laboratory and the local area or areas within which such functions may be carried out;”.

6. In section 7 of the principal Act,—

Amend-
ment of
section 7.

* * * *

(a) in clause (iv), the word “or” shall be omitted;

(b) in clause (v), the word “or” shall be inserted at the end;

(c) after clause (v) as so amended, the following clause shall be inserted, namely:—

“(vi) any adulterant.”;

(d) the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely—

“Explanation.—For the purposes of this section, a person shall be deemed to store any adulterated food or misbranded food or any article of food referred to in clause (iii) or clause (iv) or clause (v) if he stores such food for the manufacture therefrom of any article of food for sale.”.

Amend-
ment of
section 8.

7. In section 8 of the principal Act, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that different public analysts may be appointed for different articles of food.”.

Amend-
ment of
section 10.

8. In section 10 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) with the previous approval of the Local (Health) Authority having jurisdiction in the local area concerned, or with the previous approval of the Food (Health) Authority, to prohibit the sale of any article of food * * * in the interest of public health.”;

(ii) the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely:—

‘*Explanation.*—For the purposes of sub-clause (iii) of clause (a), “consignee” does not include a person who purchases or receives any article of food for his own consumption;’;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) Any food inspector may enter and inspect any place where any article of food is manufactured, or stored for sale, or stored for the manufacture of any other article of food for sale, or exposed or exhibited for sale or where any adulterant is manufactured or kept, and take samples of such article of food or adulterant for analysis:

Provided that no sample of any article of food, being primary food, shall be taken under this sub-section if it is not intended for sale as such food.”;

(c) in sub-section (4), in the opening paragraph, the following shall be inserted at the end, namely:—

“and he shall, in either case, take a sample of such article and submit the same for analysis to a public analyst;”

(d) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(4A) Where any article of food seized under sub-section (4) is of a perishable nature and the Local (Health) Authority is satisfied that such article of food is so deteriorated that it is unfit for human consumption, the said Authority may, after giving notice in writing to the vendor, cause the same to be destroyed.”;

(e) in sub-section (5),--

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the power to break open the package or door shall be exercised only after the owner or any other person in charge of the package or, as the case may be, in occupation of the premises, if he is present therein, refuses to open the package or door on being called upon to do so, and in either case after recording the reasons for doing so.”;

5 of 1898,
2 of 1974.

(ii) in the second proviso, for the words and figures “Code of Criminal Procedure, 1898”, the words and figures “Code of Criminal Procedure, 1973” shall be substituted;

(f) in sub-section (6),--

(i) for the portion beginning with the words “Any material” and ending with the words “for purposes of adulteration”, the following shall be substituted namely:—

“Any adulterant found in the possession of a manufacturer or distributor of, or dealer in, any article of food or in any of the premises occupied by him as such”;

(ii) for the words “may be seized by the food inspector”, the words “and any books of account or other documents found in his possession or control and which would be useful for, or relevant to, any investigation or proceeding under this Act, may be seized by the food inspector” shall be substituted;

(iii) for the words “if necessary a sample of such material”, the words “a sample of such adulterant” shall be substituted;

(iv) the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

“Provided that no such books of account or other documents shall be seized by the food inspector except with the previous approval of the authority to which he is officially subordinate.”;

(g) after sub-section (7), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(7A) Where any books of account or other documents are seized under sub-section (6), the food inspector shall, within a period not exceeding thirty days from the date of seizure, return the same to the person from whom they were seized after copies thereof or extracts therefrom as certified by that person in such manner as may be prescribed have been taken:

Provided that where such person refuses to so certify, and a prosecution has been instituted against him under this Act, such books of account or other documents shall be returned to him only after copies thereof or extracts therefrom as certified by the court have been taken

(7B) When any adulterant is seized under sub-section (6), the burden of proving that such adulterant is not meant for purposes of adulteration shall be on the person from whose possession such adulterant was seized.”;

(h) in sub-section (8), for the words and figures "under section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "under section 42 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be substituted; 5 of 1898, 2 of 1974.

(i) in sub-section (9),—

(A) in clause (a), after the words "article of food", the words "or adulterant" shall be inserted;

(B) for the words "with fine which may extend to five hundred rupees", the words "with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to one thousand rupees" shall be substituted.

Amend-
ment of
section 11.

9. In section 11 of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) When a food inspector takes a sample of food for analysis, he shall—

(a) give notice in writing then and there of his intention to have it so analysed to the person from whom he has taken the sample and to the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 14A;

(b) except in special cases provided by rules under this Act, divide the sample then and there into three parts and mark and seal or fasten up each part in such a manner as its nature permits and take the signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken in such place and in such manner as may be prescribed:

Provided that where such person refuses to sign or put his thumb impression the food inspector shall call upon one or more witnesses and take his or their signatures or thumb impressions, as the case may be, in lieu of the signature or thumb impression of such person;

(c) (i) send one of the parts for analysis to the public analyst under intimation to the Local (Health) Authority; and

(ii) send the remaining two parts to the Local (Health) Authority for the purposes of sub-section (2) of this section and sub-sections (2A) and (2E) of section 13.

(2) Where the part of the sample sent to the public analyst under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) is lost or damaged, the Local (Health) Authority shall, on a requisition made to it by the public analyst or the food inspector despatch one of the parts of the sample sent to it under sub-clause (ii) of the said clause (c) to the public analyst for analysis."

(b) in sub-section (3),—

(i) after the words "article of food", the words "or adulterant" shall be inserted;

(ii) for the words "the food inspector shall send a sample of it", the words "the food inspector shall, by the immediately

succeeding working day, send a sample of the article of food or adulterant or both, as the case may be," shall be substituted;

(c) in sub-section (4),—

(i) for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"(4) An article of food seized under sub-section (4) of section 10, unless destroyed under sub-section (4A) of that section, and any adulterant seized under sub-section (6) of that section shall be produced before a magistrate as soon as possible and in any case not later than seven days after the receipt of the report of the public analyst;"

(ii) the first proviso shall be omitted and in the second proviso the word "further" shall be omitted;

(d) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) If it appears to the magistrate on taking such evidence as he may deem necessary—

(a) that the article of food produced before him under sub-section (4) is adulterated or misbranded, he may order it—

(i) to be forfeited to the Central Government, the State Government or the local authority, as the case may be; or

(ii) to be destroyed at the cost of the owner or the person from whom it was seized so as to prevent its being used as human food; or

(iii) to be so disposed of as to prevent its being again exposed for sale or used for food under its deceptive name; or

(iv) to be returned to the owner, on his executing a bond with or without sureties, for being sold under its appropriate name or, where the magistrate is satisfied that the article of food is capable of being made to conform to prescribed standards for human consumption after reprocessing, for being sold after reprocessing under the supervision of such officer as may be specified in the order;

(b) that the adulterant seized under sub-section (6) of section 10 and produced before him is apparently of a kind which may be employed for purposes of adulteration and for the possession of which the manufacturer, distributor or dealer, as the case may be, is unable to account satisfactorily, he may order it to be forfeited to the Central Government, the State Government or the local authority, as the case may be."

(e) in sub-section (i), for the portion beginning with the words "If it appears" and ending with the words "article was taken", the

following shall be substituted, namely:—

“If it appears to the magistrate that any such—

(a) article of food is not adulterated; or

(b) adulterant which is purported to be an adulterant is not an adulterant,

the person from whose possession the article of food or adulterant was taken”.

Amend-
ment of
section 13.

10. In section 13 of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) The public analyst shall deliver, in such form as may be prescribed, a report to the Local (Health) Authority of the result of the analysis of any article of food submitted to him for analysis.

(2) On receipt of the report of the result of the analysis under sub-section (1) to the effect that the article of food is adulterated, the Local (Health) Authority shall, after the institution of prosecution against the person from whom the sample of the article of food was taken and the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 14A, forward, in such manner as may be prescribed, a copy of the report of the result of the analysis to such person or persons, as the case may be, informing such person or persons that if it is so desired, either or both of them may make an application to the court within a period of ten days from the date of receipt of the copy of the report to get the sample of the article of food kept by the Local (Health) Authority analysed by the Central Food Laboratory.

(2A) When an application is made to the court under sub-section (2), the court shall require the Local (Health) Authority to forward the part or parts of the sample kept by the said Authority and upon such requisition being made, the said Authority shall forward the part or parts of the sample to the court within a period of five days from the date of receipt of such requisition.

(2B) On receipt of the part or parts of the sample from the Local (Health) Authority under sub-section (2A), the court shall first ascertain that the mark and seal or fastening as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 11 are intact and the signature or thumb impression, as the case may be, is not tampered with, and despatch the part or, as the case may be, one of the parts of the sample under its own seal to the Director of the Central Food Laboratory who shall thereupon send a certificate to the court in the prescribed form within one month from the date of receipt of the part of the sample specifying the result of the analysis.

(2C) Where two parts of the sample have been sent to the court and only one part of the sample has been sent by the court to the Director of the Central Food Laboratory under sub-section (2B), the court shall, as soon as practicable, return the remaining part to the Local (Health) Authority and that Authority shall

destroy that part after the certificate from the Director of the Central Food Laboratory has been received by the court:

Provided that where the part of the sample sent by the court to the Director of the Central Food Laboratory is lost or damaged, the court shall require the Local (Health) Authority to forward the part of the sample, if any, retained by it to the court and on receipt thereof, the court shall proceed in the manner provided in sub-section (2B).

(2D) Until the receipt of the certificate of the result of the analysis from the Director of Central Food Laboratory, the court shall not continue with the proceedings pending before it in relation to the prosecution.

(2E) If, after considering the report, if any, of the food inspector or otherwise, the Local (Health) Authority is of the opinion that the report delivered by the public analyst under sub-section (1) is erroneous, the said Authority shall forward one of the parts of the sample kept by it to any other public analyst for analysis and if the report of the result of the analysis of that part of the sample by that other public analyst is to the effect that the article of food is adulterated, the provisions of sub-sections (2) to (2D) shall, so far as may be, apply.”;

(b) in sub-sections (3) and (4) for the words, brackets and figure “under sub-section (2)”, the words, brackets, figure and letter “under sub-section (2B)” shall be substituted;

(c) in sub-section (5), for the proviso, the following proviso shall be substituted:—

“Provided that any document purporting to be a certificate signed by the Director of the Central Food Laboratory [not being a certificate with respect to the analysis of the part of the sample of any article of food referred to in the proviso to sub-section (1A) of section 16] shall be final and conclusive evidence of the facts stated therein.”;

(d) the following *Explanation* shall be inserted at the end, namely:—

Explanation.—In this section, and in clause (f) of sub-section (1) of section 16, “Director of the Central Food Laboratory” shall include the officer for the time being in charge of any Food Laboratory (by whatever designation he is known) recognised by the Central Government for the purposes of this section.’

11. In section 14 of the principal Act,—

(a) for the words “manufacturer, distributor or dealer of”, the words “manufacturer or distributor of, or dealer in,” shall be substituted;

(b) before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that a bill, cash memorandum or invoice in respect of the sale of any article of food given by a manufacturer or distributor of, or dealer in, such article to the vendor thereof shall be deemed to be a warranty given by such manufacturer, distributor or dealer under this section.”.

Amend-
ment of
section 14.

Amend-
ment of
section 16.

12. In section 16 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

(1) Subject to the provisions of sub-section (1A), if any person—

(a) whether by himself or by any other person on his behalf, imports into India or manufactures for sale, or stores, sells or distributes any article of food—

(i) which is adulterated within the meaning of sub-clause (m) of clause (ia) of section 2 or misbranded within the meaning of clause (ix) of that section or the sale of which is prohibited under any provision of this Act or any rule made thereunder or by an order of the Food (Health) Authority;

(ii) other than an article of food referred to in sub-clause (i), in contravention of any of the provisions of this Act or of any rule made thereunder; or

(b) whether by himself or by any other person on his behalf, imports into India or manufactures for sale, or stores, sells or distributes any adulterant which is not injurious to health; or

(c) prevents a food inspector from taking a sample as authorised by this Act; or

(d) prevents a food inspector from exercising any other power conferred on him by or under this Act; or

(e) being a manufacturer of an article of food, has in his possession, or in any of the premises occupied by him, any adulterant which is not injurious to health; or

(f) uses any report or certificate of a test or analysis made by the Director of the Central Food Laboratory or by a public analyst or any extract thereof for the purpose of advertising any article of food; or

(g) whether by himself or by any other person on his behalf, gives to the vendor a false warranty in writing in respect of any article of food sold by him,

he shall, in addition to the penalty to which he may be liable under the provisions of section 6, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years, and with fine which shall not be less than one thousand rupees:

Provided that—

(i) if the offence is under sub-clause (i) of clause (a) and is with respect to an article of food, being primary food, which is adulterated due to human agency or is with respect to an article of food which is misbranded within the meaning of sub-clause (k) of clause (ix) of section 2; or

(ii) if the offence is under sub-clause (ii) of clause (a), the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to two years, and with fine which shall not be less than five hundred rupees.”;

(b) sub-section (1A) shall be re-numbered as sub-section (1AA) and before that sub-section as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) If any person whether by himself or by any other person on his behalf, imports into India or manufactures for sale, or stores, sells or distributes,—

(i) any article of food which is adulterated within the meaning of any of the sub-clauses (e) to (l) (both inclusive) of clause (ia) of section 2; or

(ii) any adulterant which is injurious to health,

he shall, in addition to the penalty to which he may be liable under the provisions of section 6, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to six years and with fine which shall not be less than two thousand rupees:

Provided that if such article of food or adulterant, when consumed by any person is likely to cause his death or is likely to cause such harm on his body as would amount to grievous hurt within the meaning of section 320 of the Indian Penal Code, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to term of life and with fine which shall not be less than five thousand rupees.”;

(c) for sub-section (1B), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1B) If any person in whose safe custody any article of food has been kept under sub-section (4) of section 10, sells or distributes such article which is found by the magistrate before whom it is produced to be adulterated within the meaning of sub-clause (h) of clause (ia) of section 2 and which, when consumed by any person, is likely to cause his death or is likely to cause such harm on his body as would amount to grievous hurt within the meaning of section 320 of the Indian Penal Code, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1AA), he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to term of life and with fine which shall not be less than five thousand rupees.”;

Insertion
of new
section
16A.

Power
of court
to try
cases sum-
marily.

13. After section 16 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“16A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under sub-section (1) of section 16 shall be tried in a summary way by a Judicial Magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the State Government or by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trial: 2 of 1974.

Provided that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year:

Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Magistrate shall after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.”.

Amend-
ment of
section 18.

14. In section 18 of the principal Act, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

“Provided that where the court is satisfied that the article of food is capable of being made to conform to prescribed standards for human consumption after reprocessing, the court may order the article of food to be returned to the owner, on his executing a bond with or without sureties, for being sold, subject to the other provisions of this Act, after reprocessing under the supervision of such officer as may be specified herein.”.

Amend-
ment of
section 20.

15. In section 20 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words “No prosecution for an offence under this Act”, the words, figures and letter “No prosecution for an offence under this Act, not being an offence under section 14 or section 14A,” shall be substituted;

(ii) the words “or a local authority”, at both the places where they occur, shall be omitted;

(b) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, an offence punishable under sub-section (1AA) of section 16 * * * shall be cognizable and non-bailable.”. 2 of 1974.

5 of 1898. 2 of 1974.	16. In section 20A of the principal Act, for the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 351 of the Code of Criminal Procedure, 1898", the words, brackets and figures "sub-section (3) of section 319 of the Code of Criminal Procedure, 1973" shall be substituted.	Amendment of section 20A.
	17. After section 20A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—	Insertion of new section 20AA.
20 of 1958. 2 of 1974.	"20AA. Nothing contained in the Probation of Offenders Act, 1958 or section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to a person convicted of an offence under this Act unless that person is under eighteen years of age."	Application of the Probation of Offenders Act, 1958 and section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
	18. For section 21 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—	Substitution of new section for section 21.
22 of 1974.	"21. Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973, it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate or any Judicial Magistrate of the first class to pass any sentence authorised by this Act, except a sentence of imprisonment for life or for a term exceeding six years, in excess of his powers under the said section."	Magistrate's power to impose enhanced penalties.
	19. After section 22 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—	Insertion of new section 22A.
	* * * *	
	22A. The Central Government may give such directions as it may deem necessary to a State Government regarding the carrying into execution of all or any of the provisions of this Act and the State Government shall comply with such directions."	Power of Central Government to give directions.
	20. In section 23 of the principal Act,—	Amendment of section 23.
	(a) sub-section (1) shall be re-numbered as sub-section (1A) and—	
	(i) before sub-section (1A) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—	
	"(1) The Central Government may, after consultation with the Committee and after previous publication by notification in the Official Gazette make rules to carry out the provisions of this Act:	
	Provided that consultation with the Committee may be dispensed with if the Central Government is of the opinion	

that circumstances have arisen which render it necessary to make rules without such consultation, but, in such a case, the Committee shall be consulted within six months of the making of the rules and the Central Government shall take into consideration any suggestions which the Committee may make in relation to the amendment of the said rules.”;

(ii) in sub-section (1A) as so re-numbered,—

(A) for the words “The Central Government may, after consultation with the Committee and subject to the condition of previous publication, make rules—”, the words “in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—” shall be substituted;

(B) in clause (d), the words “or to preventing adulteration” shall be inserted at the end;

(C) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(ee) defining the laboratories where samples of articles of food or adulterants may be analysed by public analysts under this Act;’;

(D) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—

“(hh), defining the methods of analysis;”;

(b) in sub-section (2), for the words “which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following”, the words “which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid” shall be substituted.

Amend-
ment of
section 24

21. In sub-section (2) of section 24 of the principal Act,—

(i) in clause (a), for the words “and local authority”, the words and brackets, “local authority and Local (Health) Authority under this Act” shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words “may be cancelled or forfeited”, the words “may be suspended, cancelled or forfeited” shall be substituted.

B. N. BANERJEE,
Secretary-General.

राज्य सभा

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संसद् की सभाओं की संयुक्त समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन 5 जनवरी, 1976 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था :—

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी संयुक्त समिति का गठन

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष

सदस्य

राज्य सभा

2. श्री कमलनाथ झा
3. श्री आर०डी० जगताप आदरणांवकर
4. श्रीमती रत्नाबाई श्रीनिवास राव
5. श्री तीरथ राम अमला
6. श्री भैरव चन्द्र महन्ती
7. श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी
8. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
9. श्री कृष्ण कान्त
10. श्री खुरशीद आलम खान
11. श्री लालबुध्रिया
12. श्री के० बी० छेत्री
13. श्री एम० कादिरशाह
14. श्री सनत कुमार राहा
15. श्री भैरों सिंह शेखावत
16. डा० के० नागप्पा आलवा
17. श्री रबी राय]
18. श्री एस० ए० खाजा मोहिदीन
19. श्री शोबालिस के० शिल्ला]
20. श्री पी० के० फुंजावन

लोक सभा

21. श्री अचल सिंह
22. श्री तरोडकर बैकटराव बाबाराध

23. श्री भागीरथ भंडर
24. श्री बीरेन एंगती
25. श्री ब्रजराज सिंह
26. श्री बी० शंकर गिरि
27. श्रीमती मार्जोरी गोडफ्रे
28. श्री अण्णासाहिब गोटेखिडे
29. श्री माधुर्य हालदार
30. श्री एम० एम० जोसेफ
31. कुमारी कमला कुमारी
32. श्री तुलसीराम वशरथ कांबले
33. श्री एम० कसामुतु
34. श्री ए० के० किस्कु
35. श्री ए० के० कोलाशट्टी
36. श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा
37. श्री लालजी भाई
38. श्री कुमारी माक्षी
39. श्री भगताराम राजाराम मनहर
40. श्री मुरासोली मारन
41. श्री प्रसन्नभाई मेहता
42. श्री मोहम्मद यूसुफ
43. श्री मोहन स्वरूप
44. श्री मोहम्मद शरीफ
45. श्री बालकृष्ण बेकसा नायक
46. श्री गुलजारी लाल नन्दा
47. श्री ताकेश्वर पांडे
48. श्री प्रबोध चन्द्र
49. श्री राम सूरत प्रसाद
50. श्रीमती साया राय
51. श्री एम० गोपाल रेड्डी
52. श्री अजीत कुमार साहा
53. श्री सांगलियाना
54. श्री चन्द्र शेखर सिंह
55. श्री शंकर बयाल सिंह
56. श्री के० सुबाबेलु
57. श्री आर० बी० स्वामीनाथन्
58. श्री चन्द्र भालमणि तिवारी
59. श्री पी० वेंकटासुब्बय्या
60. डा० कर्ण सिंह

संभालषी के प्रसलनलधल**स्वास्थ्य और परलवार नललोजन संभालध**

श्री करतार सलह, एडीशनल सेक्रेटरी
डा० जे० बी० श्रीवास्तव, महानलदेशक, स्वास्थ्य सेवा
श्री श्रवण कुमार, संयुक्त सचलव
श्री ए० पी० अदल, उप सचलव
श्री रमेश बहादुर, अवर सचलव
श्री डी० एस० चड्ढा, सहायक महानलदेशक, स्वास्थ्य सेवा

लललल और अध्याप संभालध

श्री एस० हरलहर अग्र्यर, संयुक्त सचलव और लैजलस्लेटलव काउंसल
श्री एस० रामैया, एडीशनल लैजलस्लेटलव काउंसल

सलललललध

श्री एस० पी० गांगुली, एडीशनल सेक्रेटरी
श्री महेंद्र कुमार जैन, चीफ लैजलस्लेटलव कमेटी आफीसर
श्री आर० के० मजूमदार, सीनलयर लैजलस्लेटलव कमेटी आफीसर

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का अध्यक्ष जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाला विधेयक सौंपा गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्राधिकार दिये जाने पर, संयुक्त समिति के इस प्रतिवेदन को समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के सहित, जो उसके साथ अनुबद्ध है, प्रस्तुत करता हूँ।

2. यह विधेयक राज्य सभा में 12 अगस्त, 1974 को पुरःस्थापित किया गया था।

3. विधेयक को सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डा० कर्ण सिंह द्वारा 2 सितम्बर, 1974 को उपस्थित किया गया था और वह उसी दिन राज्य सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

4. लोक सभा ने 6 सितम्बर, 1974 को प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। लोक सभा से प्राप्त संदेश की सूचना राज्य सभा को 7 सितम्बर, 1974 को दी गई थी।

5. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा के नब्बेवें सत्र के प्रथम दिवस को सभा में प्रस्तुत किया जाना था, तथापि, समिति ने सर्व प्रथम राज्य सभा के इक्यानवेवें सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक और उसके पश्चात् बावनवें सत्र के प्रथम दिवस तक, उसके पश्चात् पुनः तिरानवेवें सत्र के प्रथम दिवस तक और अंततः चौरानवेवें सत्र के प्रथम दिवस तक समय बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की।

6. समिति की कुल मिलाकर 33 बैठकें हुईं।

7. समिति ने 11 सितम्बर, 1974 को हुई अपनी पहली बैठक में निर्णय किया कि एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसमें विधेयक की विषय वस्तु में रूचि रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संघों और संगठनों के विचार मांगे जायें और उनसे यह कहा जाये कि वे अपने विचारों को 15 अक्टूबर, 1974 तक राज्य सभा सचिवालय को भेज दें। समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक पर मौखिक साक्ष्य देने के प्रयोजन के लिये साक्षियों को बुलाया जाये और अध्यक्ष को यह प्राधिकार दिया कि वह सारे ज्ञापनों की जांच के पश्चात् यह निर्णय करे कि इस प्रयोजन के लिये किन-किन व्यक्तियों को बुलाया जाये। अध्यक्ष ने सदस्यों से यह निवेदन भी किया कि वे उन व्यक्तियों/संघों के नाम सुझायें जिनके बारे में वे चाहेंगे कि उन्हें समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिये बुलाये जाने पर विचार किया जाये।

8. प्रयोगशालाओं के कार्यकरण का वहीं पर जाकर अध्ययन करने के लिये और विभिन्न उत्पादकों और व्यापारियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को जानने के लिये समिति ने निम्नलिखित संस्थानों का दौरा किया :—

(1) नगरनिगम प्रयोगशाला, दिल्ली	7-12-1974
(2) दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रीय डेरी, दिल्ली	7-12-1974
(3) श्री प्रेम कुमार गोयल द्वारा पटोवा जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में खलाई जा रही डेरी	14-12-1974
(4) राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता	16-1-1975
(5) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, मैसूर	3-2-1975

समिति ने इस प्रयोजन के लिये दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित कुछ विनिर्माण एकाईयों, व्यापार केंद्रों और होटलों का भी दौरा किया।

9. समिति को 249 ज्ञापन प्राप्त हुए जिनमें विधेयक की विषय वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों, संघों और संगठनों के विचार, टिप्पणियाँ, सुझाव इत्यादि समाविष्ट हैं।

10. समिति ने 95 साक्षियों द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य को सुना।

11. समिति ने यह निर्णय किया कि उसके समक्ष दिये गये साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख सभा पटल पर रखा जाये।

12. समिति ने शुक्रवार, 26 सितम्बर, 1975 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

13. समिति द्वारा विधेयक में किये गये विभिन्न परिवर्तनों का उल्लेख करने के पूर्व समिति इस बात पर बल देना चाहती कि देश में विद्यमान खाद्य अपमिश्रण की बुराई को केवल कानून बनाने मात्र से निर्मूल नहीं किया जा सकता और अधिनियम में निहित विभिन्न उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये बहुत कुछ करना आवश्यक है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए समिति ने प्रतिवेदन के उपाबन्ध में कतिपय सुझाव दिये हैं। समिति को आशा है कि सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी और उन्हें यथाशीघ्र क्रियान्वित करेगी।

14. समिति द्वारा विधेयक में किये गये मुख्य-मुख्य परिवर्तन और उनके कारण नीचे के पैराग्रों में दर्शाये गये हैं।

खंड 2

खंड में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :—

(1) समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि ऐसे कुछ व्यापारी और यहां तक कि उद्यमकर्ता भी हैं जो अपमिश्रकों अर्थात् ऐसे पदार्थों की बिक्री के प्रयोजन के लिए उत्पादन करते हैं जो मिलावट के प्रयोजन के लिए आसानी से उपयोग में लाये जा सकते हैं। समिति का मत है कि मिलावट करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले ऐसे पदार्थों का उत्पादन, बिक्री या वितरण भी अधिनियम के अधीन बंडनीय ठहराया जाना चाहिये और उसने विधेयक में समुचित उपबन्धों का सुझाव दिया है। अतः समिति ने खंड में “अपमिश्रक” या मिलावट के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पदार्थों की परिभाषा दी है।

(2) यह अभ्यावेदन किया गया था कि जो प्राथमिक खाद्य प्राकृतिक कारणों से षटिया स्तर का हो गया हो किन्तु स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपमिश्रित अर्थात् मिलावट वाला या षटिया स्तर का नहीं माना जाना चाहिये। यह भी अभ्यावेदन किया गया था कि मिलावट वाले पदार्थ और षटिया स्तर के पदार्थ के बीच विभेद किया जाना चाहिये। इसके साथ यह भी कहा गया कि जो षटिया स्तर का खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो उसे ऐसे षटिया स्तर के खाद्य पदार्थ से भिन्न माना जाना चाहिये जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो अतः ऐसे पदार्थों के पूर्वोक्त वर्ग अर्थात् ऐसे षटिया स्तर के पदार्थों के लिये जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हों अपेक्षाकृत हल्का दण्ड विहित किया जाना चाहिये।

तदनुसार, समिति ने खंड (2क) के प्रस्तावित उपखंड (1) में संशोधन किया है और षटिया स्तर के खाद्य पदार्थों को दो वर्गों में अर्थात् स्वास्थ्य के लिये “हानिकारक” खाद्य पदार्थों का वर्ग तथा स्वास्थ्य के लिये “हानिकारक न होने वाले” वर्ग में विभक्त किया है। तथापि जो प्राथमिक खाद्य प्राकृतिक कारणों से, जो मानव अभिकरण के नियंत्रण से बाहर हों, षटिया स्तर का हो जाये और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो उसे “अपमिश्रित” अर्थात् मिलावट वाले पदार्थों की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) पद के संभावित दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से समिति ने यह स्पष्ट करने के लिये मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (V) में एक परन्तुक जोड़ा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जिसका किसी खाद्य पदार्थ के उत्पादन, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो।

(4) समिति का यह मत है कि मूल अधिनियम के प्रयोजन के लिये किसी पदार्थ को खाद्य के रूप में घोषित करने के लिये “अपमिश्रित” की परिभाषा में पहले ही उपयोग में लायी जा रही पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिये।

तदनुसार समिति ने “खाद्य” की परिभाषा में, जैसी कि वह विधेयक में समाविष्ट है, संशोधन किया है।

(5) “स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी” की परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये केन्द्रीय सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी उस क्षेत्र के लिये स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी होगा।

(6) मूल अधिनियम की परिधि के अधीन किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण भी आता है। किन्तु अधिनियम में “विनिर्माण” पद की परिभाषा सम्मिलित नहीं की गयी है।

(7) समिति ने “प्राथमिक खाद्य” की परिभाषा में इस प्रकार का रूपभेद किया है जिससे उसमें उद्यान-कृषि का उत्पादन भी सम्मिलित हो गया है और समिति ने “प्राकृतिक रूप” पद का दृष्टान्त देने वाले शब्दों को हटा दिया है। समिति ने “प्रसंस्कृत खाद्य” की परिभाषा को भी हटा दिया है क्योंकि यह अनुभव किया गया कि विधेयक में “खाद्य” और “विनिर्माण” की जो परिभाषायें दी गयी हैं वे पर्याप्त रूप से इतनी व्यापक हैं कि उनके अन्तर्गत “प्रसंस्कृत खाद्य” आ जाता है।

खंड 3

समिति का यह मत है कि चूंकि एक से अधिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना का उपबन्ध किया गया है, ऐसी सभी प्रयोगशालाओं के निदेशकों को, जैसे ही और जब वे प्रयोगशालायें स्थापित हों, खाद्य मानक सम्बन्धी केन्द्रीय समिति का सदस्य होना चाहिये। समिति का यह भी मत है कि खाद्य मानक सम्बन्धी केन्द्रीय समिति में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधियों की संख्या दो से बढ़ा कर पांच की जानी चाहिये और उन में से, एक होटल उद्योग से सम्बन्धित होना चाहिये। समिति ने तदनुसार खंड में संशोधन किया है।

खंड 5

समिति का मत है कि भारत जैसे विशाल देश के लिये एक ही केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला का होना पर्याप्त नहीं है और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालायें होनी चाहिये।

समिति का यह भी मत है कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के कार्यकरण के सम्बन्ध में, जैसा कि मूल अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, नियमों को विहित करने के बारे में खाद्य मानकों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति से परामर्श करते रहना चाहिये।

इस प्रयोजन के लिये खंड में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है।

खंड 6

समिति का मत है कि, जैसा कि मूल अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में किसी खाद्य पदार्थ की बिक्री को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति पूर्ववत् प्राप्त रहनी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये उसके लिये खाद्य मानकों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिये। अतः समिति ने इस खंड का उप-खंड (क) निकाल दिया है।

समिति का मत है कि अपमिश्रकों की बिक्री, भंडारकरण या वितरण को भी प्रतिषिद्ध कर दिया जाना चाहिये। अतः उसने मूल अधिनियम की धारा 7 में अपमिश्रकों को सम्मिलित किया है।

खंड 8

अनेक साक्षियों ने समिति के समक्ष निवेदन किया कि सामान्यतया खाद्य निरीक्षक नमूने के मामले में विक्रेता को तंग करता है और अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का वह अपने पक्ष में दुरुपयोग करता है। इस पहलू को तथा समिति को दिये गये अन्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए, समिति की राय है कि अधिनियम द्वारा खाद्य निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों में कमी की जानी चाहिए जिससे इस सम्बन्ध में होने वाले भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। अतः, समिति ने विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :—

- I. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी खाद्य निरीक्षक को किसी ऐसे व्यक्ति से नमूने एकत्र करने की शक्ति नहीं होगी जो किसी खाद्य-वस्तु को अपने उपभोग के लिए खरीदता या प्राप्त करता है और इस कोटि के व्यक्तियों को मूल अधिनियम की धारा 10(1)(क) (iii) में आने वाले पद 'परेषित' में से निकाल दिया गया है।
- II. यदि किसी प्राथमिक खाद्य-वस्तु की बिक्री खाद्य के प्रयोजन के लिए आशयित न हो तो खाद्यनिरीक्षक ऐसी खाद्य-वस्तु के नमूने नहीं लेगा ;
- III. स्पष्टीकरण के लिए एक संशोधन इस प्रकार किया गया है कि जब कभी कोई खाद्य-वस्तु, जो अपमिश्रित, अथवा मिथ्या ब्रांड वाली प्रतीत होती हो, जस्त की जाये अथवा जिसे विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया हो, तो ऐसी वस्तु के नमूने को विश्लेषण हेतु लोक विश्लेषक को सौंपा जाएगा।
- IV. खाद्य निरीक्षक उस प्राधिकारी की, जिसके शासकीय रूप में वह अधीनस्थ हो, पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही लेखा-बहियों तथा अन्य दस्तावेजों को अभिगृहीत करेगा और अभिग्रहण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर वह उन्हें लौटा देगा। तदपि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उससे अभिगृहीत की गई बहियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियों या उन में से लिए गए उद्धरणों को प्रमाणित करने से इन्कार करता है और उसके विरुद्ध अभियोजन चला दिया गया है तो खाद्य-निरीक्षक, न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसी प्रतियों या उद्धरणों को प्राप्त करने के पश्चात् ही, इन दस्तावेजों को लौटाएगा।

(2) समिति का विचार है कि मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(1) के प्रस्तावित नये खंड (ग) में आने वाले "जो मानव उपयोग के योग्य नहीं है" शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) समिति ने ऐसे स्थान से अपमिश्रक पदार्थों के भी नमूने लेने का प्राधिकार खाद्यनिरीक्षक को दिया है जहां इन अपमिश्रक पदार्थों का निर्माण किया जाता हो या उन्हें रखा जाता हो।

(4) समिति की राय है कि यह सिद्ध करने का भार कि अभिगृहीत किये गये अपमिश्रक पदार्थ का प्रयोजन मिलावट करने से नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसा अपमिश्रक पदार्थ अभिगृहीत किया गया हो और समिति में तदनुसार मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (7)(ख) में संशोधन कर दिया है।

(5) यदि खाद्यनिरीक्षक को अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का अनुचित रूप से तथा सन्देह के किन्हीं उचित आधारों के बिना प्रयोग करने का दोषी पाया जाता है तो समिति ने पांच सौ रुपये के जुर्माने के न्यूनतम दण्ड की भी व्यवस्था की है जिसे अधिकतम जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

खंड में किये गये अन्य संशोधन प्रारूपण तथा पारिणामिक स्वरूप के हैं।

खंड 9

समिति ने नमूना लेने तथा उनके उपयोग के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया। समिति की राय है कि विक्रेता से प्राप्त किये गये नमूने को चार भागों की अपेक्षा, जैसा कि खंड में प्रस्तावित है, तीन भागों में विभक्त किया जाना चाहिये। समिति की यह राय भी है कि लिये गये नमूनों का कोई भी भाग न तो विक्रेता को दिया जाना चाहिये और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी विशिष्टियाँ मूल अधिनियम की धारा 14(क) के अधीन प्रकट की गई हों। तदपि, खाद्य निरीक्षक के लिये यह बाध्यकर कर दिया गया है कि खाद्य निरीक्षक विक्रेता के अतिरिक्त उस व्यक्ति को, जिसके बारे में विशिष्टियाँ आदि विक्रेता द्वारा प्रकट की गई हैं, नमूने का विणोषण कराने के अपने आशय की सूचना लिखित रूप से तुरन्त देगा।

इस बात का उपाबन्ध किया गया है कि खाद्य निरीक्षक स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को सूचित करते हुए नमूने का एक भाग विश्लेषण के लिये लोक विश्लेषक के पास भेजेगा और शेष दो भागों को स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को सौंप देगा।

इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि खाद्य निरीक्षक उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा जिससे उसने नमूना लिया है और यदि यह व्यक्ति हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान देने से इंकार करता है तो खाद्य निरीक्षक एक या अधिक साक्षियों को बुलायेगा और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा।

समिति ने सुझाव दिया है कि अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अर्धान अभिगृहीत की गयी किसी खाद्य वस्तु या अपमिश्रक वस्तु को कार्य के तुरन्त अगले दिन लोक विश्लेषक के पास भेज दिया जाना चाहिये। समिति ने लोक विश्लेषक के प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् सात दिन की अवधि निश्चित की है जिसके भीतर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) के अर्धान अभिगृहीत की गयी खाद्य वस्तुओं या अपमिश्रक वस्तुओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में अभिगृहीत खाद्य वस्तु, जो अपमिश्रित पायी जाये, का समपहरण कर केवल स्थानीय प्राधिकारी को उसे सौंप दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। खंड में यह उपबन्ध किया गया है कि अभिगृहीत किसी ऐसी वस्तु अथवा अन्य किसी अपमिश्रक वस्तु का समपहरण कर उसे स्थानीय प्राधिकारी की अपेक्षा राज्य सरकार को सौंप दिया जाना चाहिये। समिति ने यह नियत किया है कि इस प्रकार समपहृत वस्तु को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, यथास्थिति, को सौंप दिया जाना चाहिये।

अपमिश्रक वस्तुओं को सम्मिलित करने की दृष्टि से कतिपय प्रारूपण तथा पारिमाणिक संशोधन भी किये गये हैं।

खंड 10

समिति की राय है कि अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन के सम्बन्ध में वर्तमान उपबन्ध अति जटिल है। यद्यपि अनेक अभियोजन चलाये जा चुके हैं, तथापि उन में से अनेकों के सम्बन्ध में या तो दोष सिद्ध नहीं हो सकी हैं या अधिकतर इस आधार पर वापस ले लिये गये हैं कि प्राप्त किये गये नमूने अपमिश्रित अथवा मिथ्या ब्रांड के नहीं पाये गये हैं, और इस प्रक्रिया में न्यायालयों का केवल भारी मात्रा में बहुमूल्य समय बरबाद ही नहीं हुआ होगा अपितु विक्रेताओं को भी अनावश्यक परेशानों का सामना करना पड़ा होगा। अतः समिति ने केवल ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने की दृष्टि से जिनके नमूने लोक विश्लेषक के प्रतिवेदन के आधार पर मिलावट युक्त पाये गये हों, अभियोजन के सारे योजना को बदल दिया है, और इस प्रकार विक्रेताओं को परेशान करने के अवसर न्यूनतम हो सकेंगे तथा अभियोजनों की संख्या में भी कमी आयेगी।

समिति ने यह उपबन्ध किया है कि लोक विश्लेषक खाद्य निरीक्षक की अपेक्षा, जैसा कि मूल अधिनियम में उपबन्धित है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगा। समिति ने सिफारिश की है कि लोक विश्लेषक से यह प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर कि खाद्य वस्तु में मिलावट है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे खाद्य वस्तु का नमूना लिया गया हो तथा निर्माता यदि कोई हो, के विरुद्ध जिसका नाम, पता तथा अन्य विशिष्टियाँ विक्रेता ने दी हों, अभियोजन आरम्भ किये जाने के पश्चात् विश्लेषण प्रतिवेदन की एक प्रति विक्रेता तथा निर्माता, यदि कोई है, के पास भेजेगा और उन्हें सूचित करेगा कि यदि वे चाहें तो वे ऐसे प्रतिवेदन की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित तथा स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पास रखी हुई खाद्य सामग्री का दूसरा नमूना प्राप्त करने के लिये न्यायालय में आवेदन-पत्र दे सकते हैं। न्यायालय को इस प्रकार आवेदन-पत्र दिये जाने पर स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर ऐसी मांग की तारीख के 5 दिवस की अवधि के भीतर अपने अधिकार में रखे हुए नमूने या नमूनों का एक भाग न्यायालय के पास भेजेगा। यह उपबन्ध भी किया गया है कि ऐसे मामले में न्यायालय विचाराधीन अभियोजन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक से विश्लेषण का परिणाम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

समिति ने यह उपबन्ध भी किया है कि यदि स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की राय में लोक विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन गलत हो, तो उक्त प्राधिकारी उस खाद्य वस्तु से सम्बन्धित अपने पास रखे हुए नमूने का एक भाग विश्लेषण के लिए किसी अन्य लोक विश्लेषक के पास भेजेगा और यदि अन्य लोक विश्लेषक द्वारा उस नमूने के विश्लेषण के परिणाम सम्बन्धी प्रतिवेदन में यह लिखा हुआ है कि खाद्य वस्तु में मिलावट है, तो प्राधिकारी अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलायेगा।

मूल अधिनियम में यह उपबन्धित है कि कोई भी दस्तावेज जिसका केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा प्रमाणपत्र के रूप में हस्ताक्षरित होना है तात्पर्यित हो, अन्तिम होगा और उसमें वर्णित तथ्यों में वह निश्चायक साक्ष्य होगा। समिति ने खाद्य वस्तुओं अथवा अपमिश्रक पदार्थों के, जिनके किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग से उस व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा उसे घोर क्षति पहुंचने की संभावना है, नमूने के विश्लेषण के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाणपत्रों को इस सामान्य उपबन्ध के क्षेत्र से अपर्याप्त कर दिया है। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 5 के परन्तुक को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है।

खंड 11

मूल अधिनियम की धारा 14, प्रत्येक निर्माता वितरक अथवा व्यापारी पर, उसके द्वारा विक्रेता को बेची गई प्रत्येक खाद्य वस्तु की प्रकृति और क्वालिटी के सम्बन्ध में लिखित रूप में एक बारटी देने का दायित्व आरोपित करती है। समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के दौरान खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने अग्रभावेदित किया कि निर्माताओं अथवा व्यापारियों द्वारा विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। समिति ने धारा में इस आशय के एक परन्तुक का निवेश करके स्थिति का उपचार किया है कि विक्रेता द्वारा खरीदी गई किसी वस्तु के सम्बन्ध में निर्माता, वितरक अथवा व्यापारी द्वारा दिये गए बिल नकदी पर्ची अथवा बीजक की बारटी समझा जाना चाहिए।

विधेयक के खंड 18 में मूल रूप से यथा प्रस्तावित नई धारा 22क को हटाने के परिणामस्वरूप खंड द्वारा मूल अधिनियम की धारा 14 के स्वषटीकरण में प्रस्तावित संशोधन अब आगे आवश्यक नहीं रह गया है।

खंड 12

अधिनियम के अधीन विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दी जाने वाली शास्तियों के सम्बन्ध में खंड में जिन उपबन्धों के लिए सुझाव दिए गए हैं, उन पर समिति ने सावधानीपूर्वक विचार कर

लिया है। समिति का यह मत है कि जहाँ अपमिश्रण के विमिश्रित कार्य करने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए वहाँ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निरपराध लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। समिति ने तदनुसार अधिनियम के अधीन अपराधों तथा अपमिश्रितखाद्य अथवा अपमिश्रकों का उपभोग करने वाले व्यक्ति को पहुँचने वाले नुकसान के स्वरूप और उसकी सीमा के संदर्भ में दिए जाने वाले दंड को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया है :—

- (1) प्राथमिक खाद्य को जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है लेकिन जो मानवीय अभिकरण के नियन्त्रण से परे प्राकृतिक कारणों से अपस्तरीय है, पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है। ऐसे खाद्य पदार्थों को “अपमिश्रित” शब्द की परिभाषा से भी अपवर्जित कर दिया गया है। (देखिए विधेयक के खंड 2 के उपखण्ड ख (iii) (एम) का परन्तुक)
- (2) यदि अपमिश्रित खाद्य, ऐसा प्राथमिक खाद्य है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो लेकिन मानवोत्त अधिकरण द्वारा अपमिश्रित किया गया हो, तो अपराध करने वाला व्यक्ति 3 महीने से अन्यून अवधि के कारावास का भागी होगा लेकिन यह कारावास दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वह 500 रु० से अन्यून जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- (3) यदि अपमिश्रित खाद्य प्राथमिक खाद्य नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकर है तो इस अपराध को करने वाला व्यक्ति 6 महीने से अन्यून अवधि के कारावास का भागी होगा लेकिन इस कारावास को 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और वह 1 हजार रुपये से अन्यून जुर्माने से दंडनीय भी होगा।
- (4) यदि अपमिश्रित खाद्य स्वास्थ्य के लिए हानिकर है लेकिन वह घोर क्षति अथवा मृत्यु का कारण नहीं बनता तो इस स्थिति में एक वर्ष से 6 वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया जाएगा और साथ में 2 हजार रुपये से अन्यून जुर्माना भी होगा।
- (5) यदि अपमिश्रित खाद्य स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और उससे मृत्यु अथवा घोर क्षति होने की संभावना है तो उस स्थिति में यह दंड 5 हजार रुपये से अन्यूनतम जुर्माने सहित 3 वर्ष के कारावास के आजीवन कारावास तक होगा।

समिति ने खण्ड के क्षेत्र के अधीन अपमिश्रकों का आयात निर्माण बिक्री, स्टोरेज करना और वितरण भी सम्मिलित किया है। और ऐसे अपराधों के लिए इसी प्रकार की आस्तियां विहित की हैं।

समिति के तदनुसार खंड में संशोधन किया है।

खंड 13 (नया खंड)

समिति का यह मत है कि खाद्य के अपमिश्रण से संबंधित मामलों का विचारण किया जाना चाहिए और अपराधियों को यथाशीघ्र दंड दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समिति ने यह नया खंड जोड़ा है जिसमें ऐसे मामलों में संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था है जिनमें कि भारी दंड अर्थात् ऐसे अपराध जो अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन आते हैं। तथापि यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से यह शक्ति प्रदान की गयी हो, अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए। यह भी उपबन्धित किया गया है कि यदि संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट का यह मत बन जाता है कि उक्त वाद का संक्षिप्त विचारण अवांछनीय है अथवा 1 वर्ष से अधिक कारावास की सजा उसे दी जानी चाहिए तो वह उस आशय का आदेश रिकार्ड करेगा और उसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त तरीके से उक्त वाद की सुनवाई अथवा फिर से सुनवाई प्रारम्भ करेगा।

खंड 15 (मूल खंड 14)

समिति का यह मत है कि धारा 14 में (अर्थात् वारंटी का जारी न किया जाना) अथवा धारा 14 क (अर्थात् खरीद के स्रोत का प्रकट न किया जाना) में वर्णित अपराध के लिए वाद चलाने हेतु अधिनियम की धारा 20 में यथा अपेक्षित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहीं होनी चाहिए। अतएव इन अपराधों को अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया है।

समिति का यह भी मत है कि धारा 14 अथवा धारा 14 क के अधीन बंडनीय किसी अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना आवश्यक नहीं है तदनुसार उसने धारा 20 की उपधारा (3) में से प्रस्तावित धारा 16 की उपधारा (1 ग) का उल्लेख छोड़ दिया है।

खंड 19 (मूल खंड 18)

विधेयक में खाद्य पदार्थ के किसी निर्माता अथवा वितरक अथवा व्यापारी को वारंटी जारी करने के संबंध में अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के लागू किए जाने से छूट देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को देने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि धारा 14 एक स्तुत्य उपबन्ध है, समिति की यह राय है कि इस प्रकार की छूट देने के लिए कोई भी उपबन्ध अधिनियम में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है और ऊपर उल्लिखित सभी प्रकार के अभिकरणों को चाहे उनका स्वरूप कुछ भी क्यों न हो उक्त धारा में निहित वारंटी जारी करने के अनिवार्य उपबन्ध का पालन करना चाहिए।

विधेयक में यथा उपबन्धित प्रस्तावित नई धारा 22ए को तदनुसार छोड़ दिया गया है।

तथापि समिति ने राज्य सरकारों को, संबंधित राज्यों में अधिनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों के निष्पादन का कार्य करने के संबंध में निर्देश देने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करते हुए एक नया उपबन्ध जोड़ दिया है।

खंड 20 (मूल खंड 19)

केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा ऐसे प्रयोगशालाओं को परिमाणित करने को शक्ति दी गई है जहां सरकारी विश्लेषकों द्वारा अधिनियम के अधीन खाद्य पदार्थों अथवा अपमिश्रकों का विश्लेषण किया जाता है।

खंड का तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

खंड 21 (मूल खंड 20)

राज्य सरकार को स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के कर्तव्यों तथा शक्तियों की परिभाषा करने के लिए नियम बनाने हेतु शक्ति प्रदान करने के लिए खंड में संशोधन कर दिया गया है।

विधेयक में किए गए अन्य परिवर्तनों का स्वरूप परिणामी अथवा प्रारूप के प्रकार का है।

समिति यह सिफारिश करती है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए।

नई दिल्ली;

26 सितम्बर, 1975

त्रिलोकी सिंह,

अध्यक्ष संयुक्त समिति।

उपाख्य

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 13)

अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये सुझाव

समिति का यह विचार है कि इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। समिति के सम्मुख यह बात बहुत ही प्रभावी ढंग से रखी गयी कि इस उद्देश्य के लिए केन्द्र से या राज्यों से मिलने वाली धनराशि बहुत ही अपर्याप्त है। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्य अप-मिश्रण के निवारण का कोई भी उल्लेख नहीं था। चौथी योजना में कुछ व्यवस्था इसके लिए की गयी थी परन्तु फिर भी इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई। समिति का यह विचार है कि बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाना बीमारों का इलाज करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और यह कि खाद्य अपमिश्रण को रोकने को और अधिकाधिक ध्यान दिया जाए और इसके लिए सब से जरूरी चीज यह है कि इसके लिए पर्याप्त धन जुटाया जाए।

समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं एक से अधिक स्थापित की जानी चाहिए। हमारे देश जैसे बड़े देश के लिए एक प्रयोगशाला पर्याप्त नहीं है। यह जरूरी है कि विलम्ब को दूर करने के लिए कम से कम देश के विभिन्न चार क्षेत्रों में ऐसी चार प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं।

एक और बात जो कि कम महत्व की नहीं है समिति के सामने रखी गयी और वह यह है कि लोक विश्लेषक को राज्य स्तर पर उपयुक्त तथा अद्यतन सामान उपलब्ध नहीं होता है। दो अलग अलग प्रयोगशालाओं में एक ही वस्तु का विश्लेषण यदि वैज्ञानिक ढंग से तथा समान तरीके से किया जाए तो उनके परिणाम अलग अलग निकलें इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता। इसके लिए जो मुख्य कारण बताया गया वह यही था कि राज्यों में प्रयोगशालाओं के पास साज सामान पूरा नहीं होता है। इसलिए समिति अपना यह कर्तव्य समझती है कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि न केवल केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला अपितु राज्य स्तर पर प्रयोगशालाएं भी आधुनिक सामान से सुसज्जित की जाएं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में इस प्रकार की एक से अधिक प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जिसमें कि आधुनिक साज सामान उपलब्ध हो।

समिति यह भी महसूस करती है कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों में स्वास्थ्य निदेशक के अधीन एक अलग खाद्य विभाग होना चाहिए। सामान्यतः बड़े नगरों के सिवाय, इस अधिनियम को लागू करने का काम स्थानीय निकायों पर नहीं छोड़ना चाहिए। समिति के सामने जो सरकारी तथा गैर-सरकारी साक्ष्य दिए गए उन से बहुत हद तक यह स्पष्ट हो गया कि इसके कार्यान्वयन में गड़बड़ी का मुख्य कारण निचले स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार है। यह तर्क कि भ्रष्टाचार समूचे देश में व्याप्त है सरकार को खाद्य विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। समिति यह अनुभव करती है कि यदि खाद्य निरीक्षकों को उचित वेतन दिया जाये और वे अपेक्षित वैज्ञानिक योग्यता के व्यक्ति हों तो इस भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से यह कार्य स्थानीय सफाई निरीक्षकों पर छोड़ दिया जाता है। जहां तक खाद्य निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र का सम्बन्ध है वह किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिये बल्कि क्षेत्र पर्याप्त बड़ा होना चाहिये जिसमें दस से बारह जिले हों और एक स्थान पर उसका मुख्य कार्यालय होना चाहिये और यह सब सीधे एक उप-निदेशक के अधीन हों। समिति यह भी महसूस करती है कि सरकार को पर्याप्त मात्रा में निवारक कार्यवाही करनी चाहिये और इसके लिए कभी कभार इधर उधर से नमूने भरने के बजाय जब उप-निदेशक महसूस करे किसी क्षेत्र विशेष में बड़े पैमाने पर खाद्य के सभी प्रकार के व्यापारियों से नमूने भरे जायें और इसका उन व्यापारियों को किसी भी प्रकार का पूर्व संकेत न हो। अधिक प्रभावी होने के लिये व्यापारियों को इसी दुविधा में रहने दिया जाना चाहिये कि न मालूम कब नमूने भरे जायें। यदि ऐसा किया गया तो समिति यह अनुभव करती है कि खाद्य विभाग में निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वह समाप्त हो जायेगा।

नियम बनाने का भी प्रश्न है। नियम बनाने में सामान्यतः बहुत अधिक समय लगता है। समिति यह अनुभव करती है कि अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि नियम जितनी जल्दी हो सके बनाये जायें और इस बात का ध्यान रखा जाये कि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाये।

समिति के सामने यह भी अध्यावेदन किया गया कि ऐगमार्क की सील बन्द चीजों में भी कई बार मिलावट पायी जाती है। ऐगमार्क, आई०एस० आई० तथा किस्म नियन्त्रण आदि संस्थाएं जो कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन कार्य कर रही हैं, वे एक इस प्रकार का विश्वास लेकर चलती हैं कि ऐगमार्क के मार्क की सील बन्द चीजें उपभोक्ता के लिये इस बात की पर्याप्त गारन्टी है कि यह चीज मिलावटी नहीं है। परन्तु यदि ऐसी वस्तुओं में भी मिलावट पायी जाती है तो ऐसे मामलों में ऐगमार्क संस्था द्वारा भी निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

अधिनियम की धारा 17 जिसका सम्बन्ध "कम्पनियों द्वारा अपराध" से है, इस विधेयक के कार्य क्षेत्र से बाहर है। समिति यह अनुभव करती है कि इस उपबन्ध पर फिर से विचार किया जाना चाहिये और सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अपेक्षा खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाली कम्पनियों को यह कहा जाये कि वे किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बतायें जोकि उस वस्तु के उत्पादन कार्य के लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी है, तो उस स्थिति में यदि कम्पनी द्वारा निर्मित, स्टोर की गई, या बेची गई वस्तु में किसी प्रकार की मिलावट पायी जाती है तो केवल उसी एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी न कि पूरे बोर्ड के विरुद्ध जैसा कि आजकल हो रहा है।

दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अधिनियम के होते हुए भी मिलावट के बहुत अधिक मामले सामने आते रहे हैं। तथापि, समिति के सामने यह बात रखी गई कि बहुत कम डेरियां ऐसी हैं जिनके पास अपने मवेशी हैं। ये डेरियां दूधियों से दूध खरीदती हैं जोकि अधिकतर घटिया किस्म का होता है और यदि इसे तकनीकी भाषा में कहा जाये तो यह मिलावटी होता है। इन डेरियों के मालिक करते क्या हैं कि वे दूध को प्रसंस्कृत करके निर्धारित स्तर के दूध के बराबर बनाते हैं। दूध में मिलावट बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई है और यदि इन डेरियों को दूध देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये तो शायद देश में कोई भी डेरी न बचे और यहां तक कि दिल्ली दुग्ध योजना भी बहुत मुसीबत में फँस जायेगी। इसलिए समिति का यह विचार है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे कि ये डेरियां भी देश में चलती रहें और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध भी मिलता रहे।

समिति का ध्यान एक दूसरे पहलू की ओर भी दिलाया गया और वह यह है कि छोटी आटा मिलों, अर्थात् चक्कियों पर भी, जोकि उपभोक्ताओं के लिए उनकी पिसाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मिलावट को बहुत घटनायें होती हैं। इसलिये इस संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि इन पिसाई-चक्कियों के लिये यह अनिवार्य हो कि वे जो माल उपभोक्ताओं को देते हैं उस माल की शुद्धता के बारे में वे गारंटी दें। समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार इस मामले की जांच करे और कोई ऐसे ऐसे तरीके निकाले जिससे कि इस बुराई को दूर किया जा सके।

समिति का ध्यान होटल वालों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले दूध तथा दूध के उत्पादों के संबंध में कठिनाई की ओर भी दिलाया गया। यह सर्वविदित है कि होटलों में चाय तथा काफी में मिलाने के लिये तथा रायते के लिये वही के लिये जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें पानी मिला हुआ होता है ताकि उसकी मात्रा अधिक हो जाये। यदि खाद्य निरीक्षक वहां जांच करता है और दूध का नमूना भरता है तो होटल के मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इस कठिनाई का सामना किस प्रकार किया जाये क्योंकि यह कठिनाई सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के होटलों के सामने रहती है। सरकार को चाहिये कि वह इसके विरुद्ध कोई प्रावधान करे। एक तरीका यह हो सकता है कि विधेयक के खंड 19 में उपबंधित निर्देशों को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जारी किया जाये।

अभी तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के इस अभिशाप से लड़ने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। समिति के सामने जो साक्ष्य दिये गये उनमें समिति का ध्यान इस ओर दिलाया गया, और समिति यह सुझाव देती है कि जनता के प्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं तथा अन्य ऐसी संस्थाओं और खाद्य विभाग के बीच अच्छा सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। यदि इस उद्देश्य के लिये समाचार पत्रों, आकाशवाणी, टेलीविजन का प्रयोग करके तथा प्रदर्शनियों द्वारा जनता को इस बात का ज्ञान करवाया जाये कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से क्या हानियां होती हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा होगा।

विमति टिप्पण

I

खाद्य मानकों संबंधी केन्द्रीय समिति एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंध के अधीन गठित किया जाना है। समिति का कार्य यह है कि वह अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श दे और अधिनियम के अधीन उसे जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करे। अधिनियम का मूल प्रयोजन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। खाद्य मानकों संबंधी केन्द्रीय समिति का गठन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, कतिपय केन्द्रीय मंत्रालयों और कतिपय संस्थानों के प्रतिनिधियों से होता है। उनकी संख्या चालीस से अधिक हो सकती है किन्तु उसमें (1) होटलों तथा रेस्तराओं को, जो मुख्यतः उपभोक्ता उद्योग है, कोई विशिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और (2) महिलाओं को भी कोई विशिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जो कि उन्हें इसलिए दिया जाना चाहिए कि उन्हें अधिनियम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए और यह देखने के लिए कि गरीबों और अमीरों सभी के घरों में उपयोग में लाया जान वाला आहार स्वच्छ और मिलावट रहित है, एक बड़ी भूमिका अदा करनी है। जैसी कि इस समय स्थिति है, समिति मुख्यतः एक सरकारी अभिकरण प्रतीत होती है।

इस खंड के संबंध में संयुक्त समिति में जो संशोधन स्वीकृत हुआ था उसमें होटल उद्योग को उसमें से एक व्यक्ति को सरकार द्वारा नाम निर्देशित करके, प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया था। यह स्वाभाविक है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के होटल उद्योग को प्रतिनिधित्व देगी जो पर्यटन विकास निगम से संबद्ध है। इसका अर्थ यह है कि गैर-सरकारी होटल उद्योग को, जो 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायगा। समिति में गैर-सरकारी होटल उद्योग का एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए क्योंकि होटल उद्योग मुख्यतः एक उपभोक्ता उद्योग है। होटलों और रेस्तराओं के मालिक खाद्य वस्तुएं खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं और जनता को देते हैं। सरकार द्वारा गैर-सरकारी होटल उद्योग को प्रतिनिधित्व देने से उस उद्योग पर एक बड़ी सीमा तक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व आ जायगा। मैंने चर्चा के दौरान इस पहलू पर जोर दिया था और जो निर्णय किया गया है उस पर अपनी असहमति भी व्यक्त की थी। मेरा सुझाव यह है कि होटल उद्योग में से दो प्रतिनिधियों को लेना नितांत आवश्यक है जिनमें से एक गैर-सरकारी क्षेत्र से होना चाहिए और एक सरकारी क्षेत्र से।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में महिलाओं को सम्मिलित करने से उपभोक्ताओं के हितों की अच्छी तरह से रक्षा हो सकती है और उससे खाद्य अपमिश्रण का निवारण भी हो सकेगा और उसका पता भी लग सकेगा। मैं समझता हूँ कि खाद्य मानकों संबंधी केन्द्रीय समिति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना अत्यन्त आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि समिति के लिए अखिल भारतीय महिला संगठन से एक प्रतिनिधि नाम निर्देशित किया जाना चाहिए।

डा० क० नागप्पा बाल्वा

II

मेरा मत है कि पान, तम्बाकू, पान का मसाला, जर्दा खाद्य पदार्थ नहीं मिलावट कानून से अलग रखा जाये।

तारकेश्वर पांडे

III

विधेयक सम्बन्धी संशोधनों सहित कमेटी की जो रिपोर्ट पारित हुई है, हालांकि मैं उससे सहमत हूँ, फिर भी चाहता हूँ कि निम्नलिखित बातों का समावेश अगर रिपोर्ट में हो जाता तो अति सुन्दर होता। भिन्न मतों की हैसियत से निबंदन है कि :—

- (1) दूध के लिए अलग से एक अधिनियम का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि यह दूसरे खाद्यान्नों से भिन्न चीज है।
- (2) 'सबस्टैंडर्ड' और 'एडल्टट्रेडिड' शब्दों की व्यापक परिभाषा होनी चाहिए।
- (3) 'पालिशिंग' पर नितान्त रोक लगा देनी चाहिए और साथ ही साथ साबित चीजों पर रंग करने की जो पद्धति है उसको बन्द कर देना चाहिए तभी मिलावट के अपराध के उन्मूलन में सहायता मिल सकती है।
- (4) 'टैस्टिंग' के समय सैम्पल भरते समय जो माल आंखों से ही खराब भालूम हो उसके संबंध में ऐसी परम्परा होनी चाहिए कि उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाये।
- (5) 'सैम्पल' के सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है कि सैम्पल लेने का काम फूड इन्स्पेक्टर के बजाय किसी डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए जोकि मिलावट से भली प्रकार परिचित है, जैसे पंजाब में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों से सैम्पल लेने का काम लिया जाता है, उसी प्रकार दूसरे राज्यों में भी इस पद्धति को अपनाया जा सकता है।
- (6) मसालों को पीसने की जो पद्धति चल रही है, उसको अविलम्ब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि पीसी हुई वस्तुओं में चाहे कुछ भी मिलाया जा सकता है और उसे खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कभी-कभी तो देखा व सुना जाता है कि अमुक व्यापारी ने अमुक किसी वस्तु में किसी खराब चीज का मिश्रण कर दिया जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक थी।
- (7) बेसन, मूँदा व सूजी आदि में अगर कीड़ा है तो उन्हें अविलम्ब नष्ट कर देना चाहिए और नष्ट करना ही उसका दण्ड माना जाय। तथा सामाजिक ढंग से जनता के सामने ऐसे व्यापारियों की भर्त्सना की जाय।
- (8) देखा जाता है कि फलों को पकाने के लिए व्यापारी लोग कार्बाइड प्रयोग में लाते हैं तथा अन्य दवायें काम में लाते हैं, इससे फल जल्दी तो पक जाता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है कभी-कभी देखा गया है कि अनन्दास व दूसरे फलों में ये व्यापारी इन्जेक्शन भी लगाते हैं जिससे व देर तक सुरक्षित रह सकें, परन्तु यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्यापारियों द्वारा किए गए इन सारे कार्य-कलापों का मिलावट मानना चाहिए और इन पर अविलम्ब रोक लगा देनी चाहिए, यह लोग समाज विरोधी हैं और बड़े से बड़े दण्ड के भागीदार हैं।
- (9) उत्पादक और छोटे दुकानदार माल बेचने की श्रृंखला में आते हैं, बहुधा मिलावट उत्पादकों द्वारा होती है अगर वह मदी जाती है छोटे दुकानदारों के सिर, मेरा निश्चित मत है कि वर्तमान पद्धतियों के रहते छोटे दुकानदारों का शोषण हो रहा है, इस दृष्टिकोण से मिलावट की बात सामने रहनी चाहिये।
- (10) कमेटी का फ़ैसला सराहनीय है कि 'एगमार्क' और 'आई० एस० आई०' को कानून की परिधि से छूट नहीं दी गई, अच्छा ही कि ये सरकारी एजेंसियां और अधिक कार्य कुशलता विचारों, और शुद्धता का प्रमाण पत्र जो देने की कोशिश करती हैं वह सार्थक सिद्ध हो।

- (11) कमेटी ने जो यह निर्णय लिया कि विधेयक की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाली जाये वह उचित ही है, मगर साथ ही साथ जिला परिषद्, नगर पालिकाएँ, ग्राम समिति, ग्राम पंचायतें और राज्य सरकारों को भी अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये, तभी मिलावट जैसे अपराधों का निराकरण किया जा सकता है ।
- (12) छोटे दुकानदारों का संघ बनना चाहिये जो सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से बड़े दुकानदारों से माल उठा सकें और उसको जिम्मेवारी के साथ बेच सकें ।
- (13) जनता का सहयोग भी सरकार को प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मिलावट एक महामारी के रूप में फैली हुई है, इसकी रोक थाम के लिए उतनी ही तत्परता एवं सहयोग की आवश्यकता है । हर बड़े शहर, कस्बा व ब्लॉक स्तर पर मिलावट निवारण समिति का गठन होना चाहिये जिसमें सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त छोटे दुकानदारों के प्रतिनिधि भी होने चाहिये, यह समिति मिलावट को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाये और मिलावट के उन स्रोतों का पता लगाये जो खाने-पीने की चीजों को गंदा किये हुए हैं, बिना जनता व सरकार के तालमेल के मिलावट को दूर करना असंभव है ।
- (14) हर शहर, कस्बे व ब्लॉक के अन्तर्गत उपभोक्ता समितियां बननी चाहिये जो मिलावट के संबंध में अपने सुझाव दे और उनको दूर करने के उपाय बतायें ।

मोहन स्वर्ण ।

IV

प्रतिवेदन में समिति ने खंड 12 के संबंध में कहा है कि "समिति का मत है कि जहां जान बूझकर अपमिश्रण करने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए वहां उसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए । सदनसार, समिति ने अधिनियम के अधीन अपराधों का और उस दंड का वर्गीकरण किया है जो अपमिश्रित खाद्य पदार्थों का सेवन करने के कारण किसी व्यक्ति को हुई क्षति के स्वरूप और विस्तार को देखते हुए दिया जाना चाहिए ।

निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने से संरक्षण देना सुनिश्चित करने का और विक्रेताओं को परेशान किए जाने की गुंजाइश को कम से कम करने का समिति का जो उद्देश्य है वह प्रशंसनीय है । किन्तु अधिनियम के अधीन अपराधों और उनके लिए दिए जाने वाले दंड का वर्गीकरण करते समय समिति ने अधिनियम के अधीन किसी नियम के उल्लंघन और अपमिश्रण तथा मिथ्या छाप लगाए जाने को एक-सा ही अपराध माना है ।

धारा 16 (1) (क) (ii) के उपबंधों और उसके साथ पठित परन्तुक के कारण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकर हो गया है कि वे करावास का, जो तीन महीने से कम नहीं होगा और जुर्माना का, जो पांच सौ रु० से कम नहीं होगा, दंड दें । अब एक घूमते-फिरते रहने वाले विक्रेता को, जो अपनी बांह पर धातु का निर्धारित बैज नहीं पहनता या जिसके खाद्य रखने वाले पात्र और वाहन समुचित रूप से चिह्नित नहीं हैं, कम से कम तीन महीने का और 500 रु० के जुर्माने का दंड दिया जायेगा, यह दंड बहुत कठोर है और अपराध को देखते हुए बहुत बड़-चढ़कर है । ऐसी कई हास्यास्पद स्थितियों का उल्लेख किया जा सकता है । इस उपबंध से, जो समिति के मूल उद्देश्य के ही प्रतिकूल है निर्दोष विक्रेताओं, ईमानदार खुदरा व्यापारियों और व्यापारी समुदाय के सभी वर्गों में भय का वातावरण उत्पन्न हो जायेगा । निश्चय ही यह संसद् का उद्देश्य नहीं है ।

यदि यह आश्वासन दे दिया जाये कि लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित छोटे छोटे अपराधों या नियमों के साधारण उल्लंघन के लिए कठोर दंड नहीं दिया जायेगा तो भय का यह वातावरण दूर हो सकता है और विक्रेताओं को परेशान किए जाने की गुंजाइश कम से कम हो सकती है। भारतीय विधि आयोग ने अपने 47वें प्रतिवेदन में यह कहा है "इन कारणों को देखते हुए हम यह नहीं समझते कि न्यूनतम दंड देने के न्यायालय के विवेक को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाये। वास्तव में अधिनियमों को लागू करने के कार्य से संबंधित अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि ऐसी प्रत्येक संभव स्थिति को संकल्पना करना असंभव है जिसमें न्यून दंड दिया जा सकता है।"

यह उद्देश्य प्रस्तावित धारा 16 (1) में एक और परन्तुक जोड़ने से पूरा हो सकता है। जो निम्नलिखित है :

"परन्तु यह और भी कि यदि अपराध लाइसेंस की शर्तों के भंग किए जाने या नियमों के उल्लंघन से संबंधित हो तो न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका निर्णय में उल्लेख किया जायेगा, तीन महीनों से न्यून कालावधि के लिए कारावास या पांच सौ रुपये से न्यून जुर्माने का या दोनों का, दंड दे सकेगा।"

इस विमति टिप्पण पर ध्यान देने की कृपा की जाये।

श्री अण्णासाहेब गोवखिडे ।

V

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में इस विपत्ति टिप्पण को सम्मिलित करने में हम अपनी विवशता अनुभव करते हैं।

सामान्य विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रथमतः हम संयुक्त समिति द्वारा भूख विधेयक में किये गए भारी परिवर्तनों तथा सुधारों का स्वागत करते हैं। यदि पर्याप्त कार्यान्वयन तन्त्र की व्यवस्था की गई तो आप खाद्य वस्तुओं की कभी, उनके अभाव और समाज में व्याप्त दरिद्रता के होते हुए भी विधेयक में किए गए नये उपबन्धों से खाद्य के अपमिश्रण को समाप्त करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। संयुक्त समिति ने अपने विचार विमर्श के दौरान इस बात को बार-बार उठाया, किन्तु अधिनियम को लागू करने के लिए एक उपयुक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त निधि के उपबन्ध द्वारा एक उचित तन्त्र के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस आशंका का निवारण नहीं किया गया।

यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कित-कित प्रदेशों में कब तक और प्रादेशिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी। पर्याप्त संख्या में पर्याप्त प्रशिक्षण तथा वेतन वाले पूर्णकालिक निरीक्षकों की समस्या को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। किन्तु इस बहुताकार समस्या का समाधान करने में राज्यों के तन्त्र अति अक्षम हैं। उत्तर प्रदेश, के सबसे बड़े राज्य में केवल 46 पूर्णकालिक निरीक्षण हैं। मध्यप्रदेश, बिहार, कर्नाटक तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, दिल्ली में राज्य सरकार के अधीन एक भी पूर्णकालिक निरीक्षक नहीं है। गुजरात तथा चंडीगढ़ में एक-एक निरीक्षक है और अधिकांश राज्यों में स्थानीय निकायों के अधीन एक भी पूर्णकालिक निरीक्षक नहीं है। विधान में इस सम्बन्ध में उपबन्ध सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

खाद्य मानक सम्बन्धी केन्द्रीय समिति में उपभोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि होंगे, जब कि मूल विधेयक में केवल दो का उपबन्ध किया गया है। संसद् विचार करे कि समिति में महिला वर्ग तथा खाद्य विनिर्माण संस्थाओं के कर्मकारों का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए या नहीं; हम समझते हैं कि स्रोत पर अपमिश्रण समाप्त करने के कार्य में इन कर्मकारों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

खंड 9 में लोग विश्लेषक द्वारा खाद्य वस्तुओं के नमूनों के विश्लेषण-कार्य के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। चूंकि नये खंड 13 में संक्षिप्त विचारण के लिए ठीक ही उपबन्ध किया गया है, इसलिए अपमिश्रण के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए समय की सीमा एक आवश्यक बात है।

इण्डियन टोक्सीकोलोजिकल रिसर्च सेंटर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि गत तेरह वर्षों के दौरान खाद्य वस्तुओं के 4,09,200 नमूनों में से 1,03,044 नमूने अपमिश्रित पाये गए और 'केसरी दाल' के कारण, जो कि खाद्यान्न में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है, पश्चिमी बंगाल में 4,400 तथा बिहार और मध्य प्रदेश में 1,20,006 व्यक्ति पक्षाघात के शिकार हुए 'दाल' और 'मसालों' को रंगने की कोई आवश्यकता नहीं है—इससे हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

देश में विद्यमान प्रयोगशालायें इस कार्य को सम्भालने में बहुत असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास नवीनतम उपकरण नहीं हैं। जनसंख्या के अनुपात में इन प्रयोगशालाओं की संख्या बहुत ही कम है। देश के लिए ऐसी कम से कम कितनी प्रयोगशालायें आवश्यक हैं इसके लिए विधान किसी आधार की व्यवस्था नहीं कर सका। इस समय अधिनियम के अधीन भारत में राज्य प्रबन्ध के अन्तर्गत केवल 42 और स्थानीय निकायों के अन्तर्गत केवल 22 खाद्य प्रयोगशालायें कार्य करने की स्थिति में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के प्रवर्तन से सम्बन्धित स्थिति अस्पष्ट ही है। पश्चिमी बंगाल में 93 नगर निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों में से 46 में कोई खाद्य निरीक्षक या स्वच्छता निरीक्षक नहीं है। स्वच्छता निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षकों के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। इस पद्धति का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। केन्द्रीय विधेयक इस सम्बन्ध में कोई ठोस मार्ग-निर्देशन नहीं कर सका है। यदि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें गम्भीर तथा समन्वित रूप से अधिनियम को लागू नहीं कर पातीं तो संयुक्त समिति का सारा परिश्रम व्यर्थ तथा निष्फल सिद्ध होगा।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय एकक के कृत्यों में से एक कृत्य यह भी होना चाहिए कि वह लोगों के सहयोग से विभिन्न तरीकों तथा माध्यमों द्वारा अपमिश्रण के विरुद्ध देश भर में एक अनवरत अभियान आरम्भ करे। विधान में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के ऐसे कार्य विनिर्दिष्ट किए जाने चाहियें।

प्रथम तीन योजनाओं में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से सम्बन्धित कोई भी योजना सम्मिलित नहीं की गई। कतिपय प्रस्तावों को स्वीकृति न दिये जाने तथा अन्य प्रस्तावों को धिलम्ब से स्वीकृति दिये जाने के कारण चौथी योजना के दौरान बहुत कम मात्रा में निधियों का उपयोग किया जा सका। सरकार का यह उदासीनतापूर्ण कार्य धाम्य करने के नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार पर्याप्त वित्तीय साधनों सहित अधिनियम को कार्यान्वित किए समान तथा एकीकृत रूप से पहल नहीं करती, तो विधेयक में अपमिश्रण करने वालों के लिए उपबन्धित भ्रष्टाचारक दण्ड से केवल भ्रष्टाचार तथा नैराश्य उत्पन्न होगा। इस बात पर ध्यान दिया जाये कि सी दवाओं से एक परहेज अच्छा होता है। अतः, अपमिश्रण के सम्बन्ध में दंड के प्रभावहीन तरीके की अपेक्षा निवारक ठोस उपाय और अधिक प्रभावशाली तथा प्रभावी होंगे। विधेयक में अपमिश्रण के समान ही अपमिश्रकों के खराब होने की संकल्पना की गई है। प्रथम बार प्राथमिक खाद्य, धटिया स्तर के खाद्य को परिभाषित किया गया है। अपमिश्रण के लिए शास्ति के सम्बन्ध में विधेयक में युक्तिसंगत तथा यथार्थ उपबन्ध किया गया है। संयुक्त समिति सामाजिक जीवन में से अपमिश्रण की बुराई को समाप्त करने के कार्य को एक नई दिशा देना चाहती थी। इसके लिए देश में एक दृढ़ तथा निष्ठावान संवर्ग-आधारित संगठन की आवश्यकता है, किन्तु बुभाग्यवश विधेयक में ऐसे ठोस उपायों का उपबन्ध नहीं किया गया है।

सनत कुमार राहा।

VI

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने इसे सौंपे गये विधेयक में खाद्य अपमिश्रण निवारण सम्बन्धी विधि को सख्त बनाने तथा इसे यथासम्भव कठोर बनाने की दृष्टि से व्यापक संशोधन किये हैं। फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि खाद्य अपमिश्रण की जो बुराई व्याप्त है वह विधि द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी। विधि के असफल रहने का एक कारण यह भी है कि कार्यपालकों ने बड़े लोगों की अपेक्षा छोटे छोटे नगण्य व्यक्तियों को पकड़ने की ओर अधिक ध्यान दिया है। कानून का जाल केवल छोटे व्यापारियों को पकड़ने के लिए फैलाया जाता है और बड़े लोग इसकी पकड़ से बच निकलते हैं। यदि विधि को और अधिक प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाना है तो इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विधि को छोटी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिये, पानवालों तथा पानमसाले वालों को पकड़ने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि पान अथवा इसका मसाला खाद्य वस्तु नहीं है; ये तो केवल चबाने की सामग्री है। बहुत पहले सन् 1900 में प्रिन्सी काउन्सिल ने यह निर्णय दिया था कि चूहंग-गम खाद्य वस्तु नहीं है [देखिए बेनेट बनाम ब्राइलर (1900) 64119; 25 डाइजेस्ट 7073 एण्ड न्यूटन टी एण्ड स्पायर कम्पनी बनाम यू० एस० 288 एफ 475] पान मसाला तो केवल चबाने की चीज है। इसके अलावा हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी 1961 में रामभवतार बुद्धिप्रसाद बनाम सहायक विक्री कर अधिकारी के मामले में यह निर्णय दिया था कि पान की खाद्य के रूप में कोई उपयोगिता नहीं है और यह खाद्य वस्तु नहीं है। अतः इस प्रकार की खाद्य वस्तु को विधि के क्षेत्र से बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिये। कार्यपालिका तंत्र को इस प्रकार के अपराधों पर अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिये, अपितु उन्हें तो उन वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये जिनका बहुतायत में उपभोग तथा उत्पादन होता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार को एगमार्क सील के साथ छेड़छाड़ या एगमार्क की वस्तुओं में मिलावट न होने देने के लिए कुछ करना चाहिए। यह सप्ताह में नहीं आता कि ठीक ढंग से मुहर बन्द की गयी एगमार्क की वस्तुओं में मिलावट, किस प्रकार कर दी जाती है। यह भी हैरानी की बात है कि ऐसे मामलों में निर्दोष व्यापारियों को क्यों घसीटा जाता है, बुरा-भला कहा जाता है और तंग किया जाता है। इस चीज को रोके जाने की आवश्यकता है। एगमार्क लगाने की प्रक्रिया पुनरीक्षण किया जाना चाहिये और इसे दोषरहित बनाया जाना चाहिए।

यदि ये कदम उठाये गये तो मुझे विश्वास है कि अपमिश्रण के सही मामले प्रकाश में आयेंगे और निर्दोष तथा छोटे व्यापारियों को व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में अन्तर्ग्रस्त नहीं किया जायेगा।

राम सूरत प्रसाद।

1974 का विधेयक, संख्या 33बी

[प्रिवेंशन आफ फूड एडल्टरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 1974 का हिन्दी अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974

[जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खींची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को

और संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1975 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का
संशोधन ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम, कहा गया है) धारा 2 में,—

1954 का 37

(क) खण्ड (i) को उसके खण्ड (i) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुनःसंख्यांकित उस खण्ड से पहले निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(i) “अपद्रव्य” से कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है या की जा सकती है :”

(ख) ऐसे पुनःसंख्यांकित खण्ड (क) में,—

- (i) उपखण्ड (च) में, “असूचिकर” शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ii) उपखण्ड (आ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(आ) यदि उस पदार्थ में, उसके लिए विहित से भिन्न कोई रंजक द्रव्य विद्यमान है या यदि विहित रंजक द्रव्य जो उस पदार्थ में विद्यमान है मान्य भिन्नता की विहित सीमाओं के अन्दर नहीं है;”;

- (iii) उपखण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(ठ) यदि उस पदार्थ की क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं है जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन जाता है ;

(ड) यदि उस पदार्थ की क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं है किन्तु जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं बनता है:

परन्तु जब किसी ऐसे पदार्थ की क्वालिटी या शुद्धता, जो प्राथमिक खाद्य है, विहित मान से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं है और इन दोनों ही दशाओं में ऐसा केवल प्राकृतिक कारणों से होता है और मानवीय नियंत्रण के बाहर है तब ऐसे पदार्थ को इस उपखण्ड के अर्थ में अप्रमिश्रित नहीं समझा जाएगा ;”;

- (ग) खण्ड (iv) में अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को निवेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में किसी प्रकार का वित्तीय हित है;” ;

- (घ) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(V) “खाद्य” से औषधि और जल से भिन्न ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है जो खाद्य या पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसके अन्तर्गत—

(क) ऐसा कोई पदार्थ है जो मानव खाद्य की रचना या निर्माण में मामूली तौर से मिश्रित होता है या उपयोग में लाया जाता है,

(ख) कोई वासक या स्वादवर्द्धक द्रव्य है, और

(ग) कोई ऐसा अन्य पदार्थ है जिसे केन्द्रीय सरकार उसके उपयोग स्वरूप, उसकी अन्तर्वस्तु या क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य घोषित, करे;”;

(ड) खण्ड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(vi) “खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी” से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक या किसी राज्य में स्वास्थ्य प्रशासन का भार-साधक मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त किया जाता है ;”

(च) खण्ड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(viii) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में “स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी” से *** ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में ऐसे पदनाम से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक नियुक्त किया जाता है ;

(viii) “विनिर्माण” के अन्तर्गत किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण की प्राथमिक या आनुवंशिक कोई प्रक्रिया भी है ;”

(छ) खण्ड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(xii) “प्राथमिक खाद्य” से ऐसा कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जो प्राकृतिक रूप में कृषि या बागवानी की उपज है ;”

* * * * *

धारा 3 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

“(ख) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक या उस दशा में जब एक से अधिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं, ऐसी प्रयोगशालाओं के निदेशक, पद ;”

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(छ) कृषि, वाणिज्य और उद्योग में से प्रत्येक के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक-एक प्रतिनिधि ;

(छछ) उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधि जिनमें से एक होटल उद्योग से होगा ;”

(ख) उपधारा (3) में, “(छ)” कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “(छ), (छछ)” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 3 का अन्तःस्थापन।

“3क. (1) केन्द्रीय सरकार समिति का एक सचिव, नियुक्त करेगी जो समिति के नियन्त्रण और निदेश के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति।

(2) केन्द्रीय सरकार समिति के लिए इतने लिपिकीय और अन्य कर्मचारी देगी जितने वह सरकार आवश्यक समझे।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा 4 का सशोधन।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

“(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला या प्रयोगशालाएँ उन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए स्थापित कर सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियमों द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी प्रयोगशाला या संस्थान को भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।” ;

(ख) उपधारा (2) में *** खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के कृत्य और वह स्थानीय क्षेत्र या वे स्थानीय क्षेत्र जिनके अन्दर ऐसे कृत्यों का निष्पादन किया जा सकेगा।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

धारा 7 का सशोधन।

* * * *

(क) खण्ड (iv) में, “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के अन्त में “या” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(vi) कोई अपद्रव्य।” ;

(घ) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी अपमिश्रित खाद्य या मिश्रण छाप वाले खाद्य अथवा खण्ड (iii) या खण्ड (iv) या खण्ड (v) में निर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ का भंडारकरण करता है यदि वह ऐसे खाद्य का भंडारकरण उससे विक्रय के लिए किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के लिए करता है।”।

धारा 8 का
संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु यह और कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए विभिन्न लोक विश्लेषक नियुक्त किए जा सकेंगे।” ।

धारा 10 का
संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिषिद्ध करना *** ;” ;

(ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए “परेषिती” के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी खाद्य पदार्थ को अपने ही उपभोग के लिए क्रय करता है या प्राप्त करता है;” ।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) कोई खाद्य निरीक्षक ऐसे किसी स्थान में जहाँ कोई खाद्य पदार्थ विनिर्मित किया जाता है या विक्रय के लिए भंडार में रखा जाता है अथवा विक्रय के लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के लिए भंडार में रखा जाता है या विक्रय के लिए अभिदर्शित अथवा प्रदर्शित किया जाता है या जहाँ कोई अपद्रव्य विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा तथा ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के नमूने विश्लेषण के लिए ले सकेगा :

परन्तु यदि कोई खाद्य पदार्थ, जो प्राथमिक खाद्य दार्थ है, ऐसे खाद्य के रूप में विक्रय के लिए आशयित नहीं है तो इस उपधारा के अधीन उसका कोई नमूना नहीं लिया जाएगा।” ;

(ग) उपधारा (4) के प्रारम्भ के पैरा में अंत में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“और इनमें से प्रत्येक वशा में वह ऐसे पदार्थ का नमूना लेगा और उसे विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा :” ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4क) जहाँ उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत किया गया कोई खाद्य पदार्थ बिनश्वर प्रकृति का है और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ का इतना क्षय हो गया है कि वह मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं है वहाँ उक्त प्राधिकारी विक्रेता को लिखित सूचना देकर, उसको नष्ट करा सकेगा।” ;

(क) उपधारा (5) में,—

(i) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘परन्तु पैकेज या द्वार को तोड़ कर खोलने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब स्वामी अथवा पैकेज का भारसाधक या, यथास्थिति, परिसर का अधिभोगी कोई अन्य व्यक्ति, वहां उपस्थित होने पर, पैकेज या द्वार को खोलने के लिए कहे जाने पर उसे खोलने से इन्कार करता है तथा इन दोनों वशाओं में से किसी में भी ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ही किया जाएगा :’ ;

1898 का 5

1974 का 2

(ii) दूसरे परन्तुक में “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898” शब्दों और अंकों के स्थान पर “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(6) किसी अपद्रव्य को, जो किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माता या वितरक या व्यवहारी के कब्जे में या उस हैसियत में उसके अधिभोगाधीन किसी परिसर में पाया जाए और जिसके कब्जे के बारे में वह खाद्य निरीक्षक को समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ हो तथा किन्हीं लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे या नियंत्रण में पाई जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों, खाद्य निरीक्षक अभिगृहीत कर सकेगा और ऐसे अपद्रव्य का एक नमूना विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजा जा सकेगा :

परन्तु कोई ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजों खाद्य निरीक्षक द्वारा उस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अभिगृहीत नहीं की जाएंगी जिसके वह शासकीय रूप से अधीनस्थ है।” ;

(ग) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(7क) जब उपधारा (6) के अधीन कोई लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज अभिगृहीत की जाती हैं तब खाद्य निरीक्षक अधिग्रहण की तारीख के अधिक से अधिक तीस दिन की अवधि के अन्दर विहित रीति से उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित उनका प्रतियां या उनके उद्धरण लेने के पश्चात्, उन्हें उस व्यक्ति को लौटा देगा जिससे वे अभिगृहीत की गई थी :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार प्रमाणित करने से इन्कार कर देता है और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाया जाता है तो ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजों उसको तभी लौटाई जाएंगी जब न्यायालय द्वारा प्रमाणित उनकी प्रतियां या उनके उद्धरण ले लिए गए हों।

(7ख) जब कोई अपद्रव्य उपधारा (6) के अधीन अभिगृहीत किया जाता है तब यह साबित करने का भार कि वह अपद्रव्य अपमिश्रण के प्रयोजनों के लिए आशयित नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसा अपद्रव्य अभिगृहीत किया गया था।” ;

(ज) उपधारा (8) में, “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 57 के अधीन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के अधीन” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

1898 का 5

1974 का 2

(झ) उपधारा (9) में,—

(क) खण्ड (क) में “खाद्य पदार्थ” शब्दों के पश्चात् “या अपद्रव्य” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “जुमनि से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा”, शब्दों के स्थान पर, “जुमनि से जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का
संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(1) जब कोई खाद्य निरीक्षक खाद्य का नमूना विश्लेषण के लिए लेता है तब वह—

(क) उसका ऐसे विश्लेषण कराने के अपने आशय की लिखित सूचना उसी समय और वहीं उस व्यक्ति को जिससे उसने वह नमूना लिया है तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 14क के अधीन प्रकट की गई हैं, देगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित विशेष मामलों के सिवाय, नमूने के उसी समय और वहीं अलग-अलग तीन भाग कर लेगा और प्रत्येक भाग को ऐसी रीति से जैसी उसकी प्रकृति के अनुकूल हो चिन्हित और मुहरबन्द करेगा या बांधेगा और उस व्यक्ति का जिससे वह नमूना लिया गया है हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से लेगा जो विहित की जाए :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति हस्ताक्षर करने या अंगूठे का छाप लगाने के इन्कार करता है तो खाद्य निरीक्षक एक या अधिक साक्षियों को बुलाएगा और ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के छाप के बदले उसके या उनके, यथास्थिति, हस्ताक्षर या अंगूठे के छाप लेगा ;

(ग) (i) एक भाग को, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को सूचना देते हुए विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा ; और

(ii) और शेष दो भागों को इस धारा की उपधारा (2) तथा धारा 13 की उपधारा (2क) और (2ड) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) जब उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अधीन लोक विश्लेषक को भेजे गए नमूने का भाग खो जाता है या खराब हो जाता है तो लोक विश्लेषक या खाद्य निरीक्षक द्वारा अव्यपेक्षा किए जाने पर स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के अधीन उसे भेजे गए नमूने के भागों में से एक भाग को विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा।” ;

(ख) उपधारा (3) में,—

- (i) “खाद्य पदार्थ” शब्दों के पश्चात् “या अपद्रव्य” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) “तब खाद्य निरीक्षक उसके नमूने को नमूनाकरण के लिए विहित नियमों के अनुसार संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लोक विश्लेषक को भेजेगा” शब्दों के स्थान पर “तब खाद्य निरीक्षक ठीक बाद के कार्य दिवस तक, यथास्थिति, उस खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य को, या दोनों को, नमूनाकरण के लिए विहित नियमों के अनुसार संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लोक विश्लेषक को भेजेगा,” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,—

- (i) प्रारम्भ के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

“(4) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत कोई खाद्य पदार्थ, यदि वह उस धारा की उपधारा (4क) के अधीन नष्ट नहीं किया गया है, तथा उस धारा की उपधारा

(6) के अधीन अभिगृहीत कोई अपद्रव्य यथासंभव शीघ्रता से और हर हालत में लोक विश्लेषक को रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सात दिन के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा ।” ;

- (ii) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा और दूसरे परन्तुक में “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(5) यदि मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य लेने पर जैसा लेना वह आवश्यक समझे वह प्रतीत होता है कि—

(क) उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष पेश किया गया खाद्य पदार्थ अप्रामाण्य या मिथ्या छाप वाला है तो वह आदेश दे सकेगा कि—

- (i) उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में समपहृत कर दिया जाए; या

(ii) उसे स्वामी के या उस व्यक्ति के जिससे वह अभिगृहीत किया गया था, खर्च पर नष्ट कर दिया जाए जिससे मानव खाद्य के रूप में उसका उपयोग न हो सके; या

(iii) उसका इस प्रकार व्ययन किया जाए जिससे प्रवचक नाम के अधीन उसको पुनः विक्रय के लिए अभिदर्शित न किया जा सके या उसका खाद्य के लिए उपयोग न हो सके; या

(iv) उसे उसके समुचित नाम के अधीन विक्रय किए जाने के लिए या जहाँ मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि वह खाद्य पदार्थ पुनः प्रसंस्करण के पश्चात्

मानव उपभोग के लिए विहित मान के अनुरूप बनाए जा सकने के योग्य है वहाँ ऐसे अधिकारी के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पर्यवेक्षण के अधीन पुनः प्रसंस्करण के पश्चात् विक्रय किए जाने के लिए स्वामी को उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, वापस कर दिया जाए;

(ख) धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन अभिगृहीत और उसके समक्ष पेश किया गया अपद्रव्य प्रकटतः इस प्रकार का है जिसे अपमिश्रण के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और जिसके कब्जे की बाबत, यथास्थिति, विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ है तो वह उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में समपहृत करने का आदेश दे सकगा।” ।

(ऊ) उपधारा (6) में “यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो” शब्दों से आरम्भ होने वाले और “वह पदार्थ लिया गया था” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा—

(क) खाद्य पदार्थ अपमिश्रित नहीं है, या

(ख) अपद्रव्य जिसका अपद्रव्य होना तात्पर्यित है अपद्रव्य नहीं है,

तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे से वह खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य लिया गया था।” ।

धारा 13 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(1) लोक विश्लेषक, विश्लेषण के लिए उसे भेजे गए किसी खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की इस आशय की रिपोर्ट मिलने पर कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रित है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उस व्यक्ति के जिससे खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 14क के अधीन प्रकट की गई हैं, अभियोजन चलाने के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को यह सूचित करते हुए भेजेगा कि वे दोनों या उनमें से कोई यदि चाहें तो रिपोर्ट की प्रति मिलने की तारीख से दस दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय को यह आवेदन कर सकते हैं कि स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया जाए ।

(2क) जब उपधारा (2) के अधीन न्यायालय को आवेदन किया जाता है तब न्यायालय स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह नमूने के उस भाग या उन भागों को जो उक्त प्राधिकारी द्वारा रखे गए हों भेज दे तथा ऐसे अध्यपेक्षा किए जाने पर उक्त प्राधिकारी उस अध्यपेक्षा के मिलने की तारीख से पांच दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय को नमूने के भाग भेज देगा।

(2ख) उपधारा (2क) के अधीन स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से नमूने के भाग या भागों के मिलने पर न्यायालय पहले यह अभिनिश्चित कर लेगा कि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथा उपबंधित चिह्न और मुहर या बंधन ज्यों के त्यों हैं और, यथास्थिति, हस्ताक्षर या अंगूठे के छाप को विगाड़ा नहीं गया है और वह नमूने के भाग या, यथास्थिति, एक भाग को अपनी मुहर लगाकर केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक को भेजेगा जो तब नमूने के भाग की प्राप्ति की तारीख से एक मास के अन्दर विहित प्ररूप में न्यायालय को एक प्रमाणपत्र भेजेगा जिसमें विश्लेषण का परिणाम विनिर्दिष्ट होगा।

(2ग) जब न्यायालय को नमूने के दो भाग भेजे गए हैं और न्यायालय द्वारा उपधारा (2ख) के अधीन केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक को नमूने का केवल एक ही भाग भेजा गया है तब न्यायालय यथाशक्यशीघ्र शेष भाग को स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को वापस कर देगा और वह प्राधिकारी न्यायालय द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक से प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने के पश्चात् उस भाग को नष्ट कर देगा :

परन्तु जब न्यायालय द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक को भेजा गया नमूने का भाग खो जाए या खराब हो जाए तब न्यायालय स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह नमूने के भाग को, यदि कोई हो, जिसे उसने प्रतिधारित किया हो, न्यायालय को भेज दे और उसकी प्राप्ति पर न्यायालय उपधारा (2ख) में उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा।

(2घ) न्यायालय अभियोजन के संबंध में उसके समक्ष लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों को तब तक आगे जारी नहीं रखेगा जब तक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक से विश्लेषण के परिणाम का प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता।

(2ङ) यदि खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् या अन्यथा स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन लोक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट गलत है तो उक्त प्राधिकारी नमूने के भागों में से, जो उसने रखे हों, एक भाग को विश्लेषण के लिए किसी अन्य लोक विश्लेषक को भेजेगा और यदि उस अन्य लोक विश्लेषक की उस नमूने के उस भाग के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट इस आशय की है कि वह खाद्य पदार्थ अप्रामाणिक है तो उपधारा (2) से लेकर उपधारा (2घ) तक के उपबन्ध यावश्यक लागू होंगे।” ;

(ख) उपधारा (3) और (4) में “उपधारा (2) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, “उपधारा (2ख) के अधीन” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु [धारा 16 की उपधारा (1क) के परन्तुक में निर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ के नमूने के भाग के विश्लेषण के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र न होने वाली] कोई दस्तावेज, जो केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र होनी तात्पर्यित है, उसमें वर्णित तथ्यों का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगी।”;

(घ) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में “केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक” के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त किसी खाद्य प्रयोगशाला का उस समय भारसाधक है (चाहे वह किसी भी नाम से जाना हो)।’

धारा 14 का
संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) “विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी” शब्दों के स्थान पर “विनिर्माता या वितरक या व्यवहारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय के सम्बन्ध में कोई बिल, केश मैमों या बीजक, जो ऐसे पदार्थ के विनिर्माता या वितरक या व्यवहारी ने उसके विक्रेता को दिया हो, इस धारा के अधीन ऐसे विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी द्वारा दी गई वारंटी समझा जाएगा।”

धारा 16 का
संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) उपधारा (1क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि यदि कोई व्यक्ति—

(क) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का —

(i) जो धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (ड) के अर्थ में अप्रामिश्रित है या उस धारा के खण्ड (ix) के अर्थ में मिथ्या छाप वाला है अथवा जिसका विक्रय इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के अधीन अथवा खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के आदेश से प्रतिषिद्ध है;

(ii) जो उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ से भिन्न है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करते हुए,

भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्मित करेगा या भंडार में रखेगा, विक्रय करेगा या वितरित करेगा; या

(ख) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे अपद्रव्य का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है भारत में आयात करेगा; या विक्रयार्थ विनिर्मित करेगा या भंडार में रखेगा, विक्रय करेगा या वितरित करेगा; या

(ग) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप से नमूने लेने से रोकेगा; या

(घ) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा; या

(ङ) किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता होते हुए किसी अपद्रव्य को जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है अपने कब्जे में या अपने अधिभोगाधीन किसी परिसर में रखेगा; या

(च) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा या किसी लोक विश्लेषक द्वारा की गई किसी परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र का अथवा उसके किसी उद्धरण का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए करेगा; या

(छ) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा विक्रय किया गया हो मिथ्या वारंटी विक्रेता को देगा;

तो वह उस किसी शास्ति के अतिरिक्त जिससे वह धारा 6 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि—

(i) यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन है और मानवीय कारणों से अपमिश्रित प्राथमिक खाद्य होने वाले खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में है, या धारा 2 के खण्ड (ix) के उपखण्ड (ट) के अर्थ में मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में है; या

(ii) यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन है ;

तो न्यायालय, किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम न होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दण्डित कर सकेगा।”;

(ख) उपधारा (1क) को उपधारा (1कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उस उपधारा के पहले निम्नलिखित उपधारा, अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) यदि कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा—

(i) किसी खाद्य पदार्थ का, जो धारा 2 के खण्ड (1क) के उपखण्ड (ङ) से लेकर उपखण्ड (ठ) तक में से किसी के अर्थ में अपमिश्रित है, या

(ii) किसी अपद्रव्य का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है,

भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडार रखेगा, विक्रय करेगा या वितरण करेगा वह उस किसी शास्ति के अतिरिक्त जिससे वह धारा 6 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हो कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी किन्तु छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम न होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु यदि ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के किसी व्यक्ति द्वारा खाए जाने पर उसकी मृत्यु होने की संभावना है या उसके शरीर को ऐसी हानि होने की संभावना है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अर्थ में घोर उपहति होगी तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।”;

1860 का 45

(ग) उपधारा (1ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1ख) यदि कोई व्यक्ति जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में कोई खाद्य पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन रखा गया है ऐसे पदार्थ का विक्रय या वितरण करेगा जो उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके समक्ष वह पेश किया जाता है धारा 2 के खण्ड (1क) के उपखण्ड (ज) के अर्थ में अपमिश्रित पाया जाता है और जिसके किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर उसकी मृत्यु होने की संभावना है या उसके शरीर को ऐसी हानि होने की संभावना है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अर्थ में घोर उपहति होगी तो उपधारा (1कक) में किसी बात के होते हुए भी वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु आजीवन कारावास हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, दण्डनीय होगा।”।

1860 का 45

13. धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 16क का अन्तःस्थापन।

1974 का 2

16क. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन सब अपराधों का संक्षेपतः विचारण किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया हो अथवा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, किया जाएगा और उक्त संहिता की 262 से लेकर 265 तक की धाराओं के उपबन्ध ऐसे विचारण को यावश्यक लागू होंगे :

न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक न हो, कारावास का दण्डादेश पारित करे :

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ में या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़े या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस भाव का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किसी भी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो, पुनः बुलाएगा और मामले को उक्त संहिता द्वारा उपबन्धित रीति से सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा।”।

14 मूल अधिनियम की धारा 18 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 18 का संशोधन।

“परन्तु जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह खाद्य पदार्थ पुनः प्रसंस्करण के पश्चात् मानव उपभोग के लिए विहित मान के अनुरूप बनाए जा सकने के योग्य है, तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि वह खाद्य पदार्थ ऐसे अधिकारी के जो उसमें विनिश्चित हो पर्यवेक्षण के अधीन पुनः प्रसंस्करण के पश्चात् इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन विक्रय किए जाने के लिए स्वामी को उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर वापस कर दिया जाए।”।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

धारा 20 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) “इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए” शब्दों के स्थान पर, “इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, जो धारा 14 या धारा 14क के अधीन अपराध नहीं है,” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, “या किसी स्थानीय प्राधिकारी” शब्दों का, दोनों स्थानों से जहां वे आते हैं, तोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी धारा 16 की उपधारा (1क क) के अधीन***दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा”। 1974 का 2

धारा 20 क का संशोधन। 16. मूल अधिनियम की धारा 20 क में “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 351 की उपधारा (1) में” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 की उपधारा (3) में” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। 1898 का 5 1974 का 2

नई धारा 20क का अन्तःस्थापन। 17. मूल अधिनियम की धारा 20 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 का लागू होना। “20कक. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोप व्यक्ति को उसी दशा में लागू होगी जब वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है।” 1958 का 20 1974 का 2

धारा 21 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना। 18. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

मजिस्ट्रेट की वधित शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति। “21. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह आजीवन कारावास या छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दण्डादेश के बिना, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश पारित करे जो उक्त धारा के अधीन उसकी शक्तियों से अधिक हो।” 1974 का 2

नई धारा 22क का अन्तःस्थापन। 19. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

* * * *

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

“22क. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के सब उपबन्धों या उनमें से किसी का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह आवश्यक समझे और वह राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।”

20. मूल अधिनियम की धारा 23 में, —

धारा 23 का
संशोधन।

(क) उपधारा (1) को उपधारा (1क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और—

(i) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1क) से पहले निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1) केन्द्रीय सरकार समिति से परामर्श करने के पश्चात् और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे परामर्श के बिना नियम बनाए जाएं तो समिति से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसी दशा में नियमों के बनाए जाने के छह मास के अन्दर समिति से परामर्श किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे सुझावों पर विचार करेगी जो समिति उक्त नियमों के संशोधन के बारे में दे।” ;

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1क) में,—

(क) “केन्द्रीय सरकार, समिति से परामर्श करने के पश्चात् और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—” शब्दों के स्थान पर “विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) में “भूलावे में पड़ने का” शब्दों के स्थान पर “भूलावे में पड़ने का या अपमिश्रण का” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खण्ड (ड०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ड०ड०) उन प्रयोगशालाओं को परिनिश्चित करना जिनमें इस अधिनियम के अधीन लोक विश्लेषकों द्वारा खाद्य पदार्थों या अपवस्तुओं का विश्लेषण किया जा सकेगा ;

(घ) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(जज) विश्लेषण की पद्धतियों को परिनिश्चित करना ;” ;

* * * *

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में

पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”।

धारा 24 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में,—

- (i) खण्ड (क) में “खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “इस अधिनियम के अधीन खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (ii) खण्ड (ख) में “रद्द या समपङ्कत की जा सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “निलम्बित, रद्द या समपङ्कत की जा सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ।

बी० एन० बनर्जी,
महा सचिव।